महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक अनुषंगी)

चौथी वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा
2018-19

पंजीकृत कार्यालय: जागृति विहार, बुर्ला,
संबलपुर, ओडिशा, 768020

विषय सूची

क्रमांक.		पृष्ठ संख्या
1.	कंपनी की जानकारी	
2.	निदेशक मंडल	
3.	वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना	
4.	निदेशकों के प्रतिवेदन	
5.	लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन	
6.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	
7.	31 मार्च, 2019 के अनुसार तुलन पत्र	
8.	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि का विवरण	
9.	नगद प्रवाह विवरण	
10.	तुलन पत्र के गठित भाग की अनुसूची और लाभ-हानि का विवरण	
11.	लेखांकन नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियाँ	

कंपनी की जानकारी

वर्ष 2018 – 19 के दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष	
श्री ओ.पी. सिंह	**(01.03.2019 से प्रभावी)**
श्री जे.पी. सिंह	**(28.02.2019 तक)**

श्री ए. हुशेन	**(22.03.2019 तक)**
श्री एल.एन.मिश्रा	**(31.12.20118 तक)**
श्री एस.के.मोहंती	**(01.06.2016 से प्रभावी)**
श्री एस.एल.गुप्ता	**(25.08.2016 से प्रभावी)**
श्री के.आर.वासुदेवन **श्री डी.सभलोक** **श्री ए नरेंद्र**	**(12.02.2018 से प्रभावी)** **(01.05.2017 से प्रभावी)** **(02.08.2017 से प्रभावी)**

श्री एस. सी.राय	सीईओ/सीओओ	(सीओओ 18.08.2018 से प्रभावी एवं सीईओ 05..09.2018 से प्रभावी)
श्री के.वी.वी.राजू	सीएफ़ओ	(31.03.2019 तक)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

पी. के. स्वर्णकर	सीएफ़ओ	वर्तमान में

सांविधिक लेखापरीक्षक	**बैंकर्स**
बिजय धनिराम एंड कं. चार्टर्ड अकाउंटेंट मारवाड़ी पाड़ा, धोबीगली,संबलपुर, ओड़िशा- 768001,	भारतीय स्टेट बैंक, एमसीएल कॉम्प्लेक्स शाखा जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर - 768020 आईसीआईसीआई बैंक सचिवालय मार्ग बर्मा नगर, यूनिट-4, भुवनेश्वर -751001

पंजीकृत कार्यालय
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, ओड़िशा- 768020

दिनांक 03.06.2019 के अनुसार निदेशक मण्डल

अध्यक्ष

श्री ओ. पी. सिंह	(01.03.2019 से प्रभावी)

निदेशक

श्री ए. नरेंद्र	(02.08.2017 से प्रभावी)
श्री डी. सभलोक	(01.05.2017 से प्रभावी)
श्री एस. एल. गुप्ता	(25.08.2016 से प्रभावी)
श्री एस. के. मोहंती	(01.06.2016 से प्रभावी)
श्री के. आर. वासुदेवन	(12.02.2018 से प्रभावी)
श्री अनवर हु सैन	(22.03.2019 से प्रभावी)

<u>चौथी वार्षिक आम बैठक की सूचना</u>

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड की चौथी वार्षिक आम बैठक की सूचना दी जाती है जो निम्न व्यवसाय के लेन – देन के लिए दिनांक 14 जून 2019 को दोपहर 12.30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय जागृति विहार, बुर्ला, सम्बलपुर, ओड़िशा -768020 में आयोजित होगी।

सामान्य व्यवसाय :

1. 31 मार्च, 2019 तक लेखा परीक्षित तुलनपत्र सहित 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणी और उस वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और निदेशक मण्डल के रिपोर्ट, वैधानिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट पर विचार करने और उन्हें अपनाने के लिए।
2. श्री के. आर. वासुदेवन, निदेशक (डीआईएन -07915732) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने के लिए, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के संदर्भ में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के कारण खुद को पुन: नियुक्ति के लिए पेश करेंगे।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 और धारा 139 (5) के साथ पढ़ा जाए जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए तथा आगे कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को ठीक करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना और इसके बाद साधारण संकल्प के साथ या बिना संशोधन के, निम्न संकल्प पारित करने हेतु।

   "यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2019-20 और उसके बाद के लिए धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के निदेशक मंडल और इसके द्वारा कंपनी के लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को तय करने के लिए अधिकृत किया गया है। `

निदेशक मण्डल के आदेशार्थ
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के लिए
ह/-
(के. आर. वासुदेवन)
निदेशक
डीआईएन : 07915732

स्थान : सम्बलपुर
दिनांक : 03.06.2019

निदेशकों के प्रतिवेदन

प्रिय सदस्यों

आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल की ओर से वर्ष 2018-19 के लिए आपकी कंपनी के तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन के साथ समेकित वित्तीय लेखा प्रतिवेदन, सांविधिक लेखा परीक्षक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की टिप्पणी प्रस्तुत करना मेरे लिये गर्व एवं सौभाग्य की बात है।

1. एम.सी.आर.एल. की परियोजना का संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 11.09.2015 को आयोजित पहली निदेशक मण्डल की बैठक के दौरान एम.सी.आर.एल. ने अंगुल-बलराम-जरापाडा और एक लाइन तेंटुलोई (68 किमी) खंड की पहचान अपनी पहली परियोजना के रूप में की है। इस परियोजना में मुख्य रूप से 3 लाइन जिनमें अंगुल-बलराम, बलराम-पुटागाडिया और जरापाडा-पुटागाडिया-तेंटुलोई शामिल हैं। गलियारे के अंगुल-बलराम लाइन के लिए भूमि एमसीएल द्वारा पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है। रेलवे अधिनियम के तहत बलराम-पुटागरिया और जरापाडा-पुटागाडिया-तेंटुलोई लाइन के लिए भूमि अधिग्रहित की जा रही है। पूरे परियोजना को रेलवे विशेष परियोजना के रूप में घोषित किया गया है।

2. <u>कार्य निष्पादन की मुख्य बातें</u>

क. <u>एमसीआरएल कार्यालय की स्थापना :-</u>

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड ने कोयले की निकासी हेतु ओडिशा राज्य के तालचेर क्षेत्र में रेल गलियारे के विकास के लिए प्लॉट नं – A/32, खारवेल नगर, सचिवालय मार्ग भुवनेश्वर में 11 मंजिला ओएसएचवी बिल्डिंग के 5वीं मंजिल पर अपने कार्यालय की स्थापना की है। कार्यालय ओएसएचवी बिल्डिंग में दिनांक 01.02.2017 से कार्यरत है।

ख. <u>विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.):</u>

दिनांक 27.10.2017 को अंगुल-बलराम-पुटागाडिया-जरापाडा के डीपीआर और तेंदुलोई (लगभग 68 किलोमीटर) तक एक लाइन को रेलवे बोर्ड द्वारा सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। दिनांक 31.01.2018 को पूर्व तट रेलवे द्वारा डी.पी.आर. को अंतिम मंजूरी प्रदान की गई। 60% की बढ़ी हुईमाइलेज की स्वीकृति तथा रेलवे परियोजना के लिए सी.ओ.एम., ईस्ट कोस्ट रेलवे ने दिनांक 29.01.2018 को रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा। रेलवे से मंजूरी अब तक प्राप्त नहीं हुईहै। निर्माण के दौरान मुद्रास्फीति, परियोजना प्रबंधन और ब्याज सहित परियोजना की कुल लागत 1700 करोड़ रुपये है।

<u>ग) स्टैकहोल्डर के साथ बैठक :</u>

दिनांक 08.11.2016 को ओ-डी यातायात अध्ययन में शामिल खनन योजना एवं यातायात के संबंध में भावी स्टैकहोल्डर अर्थात नेशनल थर्मल पवार कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी), नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको), सींगेरेनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) एवं ओड़िशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएमसी) के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी।

घ) भूमि :

व्यापक गलियारे के लिए रेलवे, सड़क और पानी की पाइप को समायोजित करने हेतु आईडीसीओ ने मैसर्स ब्राह्मनी रेलवे लिमिटेड के लिए भूमि अधिग्रहण योजना की शुरुआत की है। मैसर्स ब्राह्मनी रेलवे लिमिटेड/आईडीसीओ की भूमि आवश्यकताओं के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत ओडिशा सरकार ने मई, 2015 को 6(1) अधिसूचना प्रकाशित की।

दिनांक-21.03.16 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भूमि की चौड़ाई को कम कर केवल रेल लाइन एवं इसके रख-रखाव, सड़क के लिये आवश्यक अतिरिक्त भूमि को समायोजित किया जायेगा। तदनुसार नवीनतापूर्वक सर्वेक्षण किया गया एवं निर्धारित भूमि को संशोधित किया गया।

एम.सी.आर.एल. गलियारे का पूरा एलाइनमेंट मेसर्स ब्राह्मणी रेलवे लिमिटेड / आईडीसीओ की अधिसूचित भूमि सीमा के भीतर सामरिक महत्व के रूप में रखा गया। अब इस पूरी परियोजना को रेलवे स्पेशल प्रोजेक्ट घोषित कर दिया गया है तो द गजट ऑफ इंडिया के अधिसूचना संख्या 4171 दिनांक 23 अक्टूबर 2018 का अवलोकन करें,इसके पश्चात भूमि अधिग्रहण रेलवे एक्ट के जरिए किया जाएगा।

ड़) **स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति:**

वर्ष 2014 में रेलवे के अनुच्छेद-20 के अंतर्गत संयुक्त उद्यम मॉडल में हुए समझौते के तहत् यह अनिवार्य किया गया कि कंसेसियनर अर्थात एमसीआरएल द्वारा आंचलिक रेलवे के अनुमोदित सूची में से एक स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति की जाएगी, जो इरकॉन द्वारा प्रस्तुत डिजाइन एवं ड्राइंग की जाँच करेगा, जिसे ईस्ट कोस्ट रेलवे की अनुमोदित सूची से उपरोक्त परियोजना को प्रवर्तन में लाने हेतु स्वतंत्र अभियंता के रुप में नियुक्त भी किया जा सकेगा। स्वतंत्र अभियंता के नियोजन की प्रक्रिया जारी है।

च) ऋण के लिए बैंक के साथ संबंध स्थापित करना:

वित्तीय अध्ययन के अनुसार अनगुल-बलराम–पुटगाड़िया–टेंटुलोई–जरापाड़ा रेल गलियारे के विकास हेतु कुल खर्च आईएनआर 1700 करोड़ रुपए होंगी। प्रमोटर से 30% इक्विटी लेने के पश्चात्, वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में लगभग 1190 करोड़ रुपए लेने की आवश्यकता होगी। वित्तीय सलाहकार संलग्न करने के लिए प्रारंभिक कार्रवाई की गई।

छ) अनगुल-बलराम खंड का निर्माण :

निदेशक मंडल के 6वीं बैठक के दौरान यह चर्चा की गई थी कि वित्तीय समापन के बावजुद भी अनगुल-बलराम के बीच कार्य किया जाएगा। परियोजना के इस हिस्से के लिए आवश्यक निधि की व्यवस्था एमसीएल द्वारा ऋण के रुप में की जाएगी। तदनुसार मैसर्स इरकॉन (IRCON) ने अंगुल बलराम अनुभाग का कार्य मेसर्स लक्ष्मी इंटरप्राइज़ झारखंड को दिनांक 16.11.2018 को अनुमानित लागत 64.69 करोड़ के साथ सौंपी तथा जिसे 09 महीने की अवधि में पूरा करना है।

एमसीआरएल ने एमसीएल से उपरोक्त सेक्शन के निर्माण के लिए 145 करोड़ रुपये के फंड की व्यवस्था करने का अनुरोध किया तथा प्राधिकृत पूंजी के लिए 510 करोड़ रु. और चुकता पूंजी के लिए 300 करोड़ की राशि बढ़ाने हेतु सहमति मांगी। हालांकि, स्टैकहोल्डर, जैसे- इरकॉन और इडको से सहमति अब तक प्राप्त नहीं हुईहै।

ज) बाहरी गलियारे का सर्वेक्षण :

दिनांक 11.09.2015 को एमसीआरएल के प्रथम निदेशक मंडल की बैठक में, 'आउटर कॉरिडॉर' के रूप में नामित अन्य गलियारे जैसे – टेंटुलोई-बुधपंक वाया तालबीरा, चन्द्रबिला, साखिगोपाल, को लगभग 106 किलोमीटर को कंपनी द्वारा चिन्हित किया गया। अंगुल बलराम –पुटागाडिया-टेंटुलोई–जारापाड़ा रेल गलियारे की शुरुआत के पश्चात तथा परियोजना की व्यवहार्यता पर विचार करते हु एइस गलियारे की प्रारम्भिक शुरुआत करने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

झ) टेंटुलोई से ओ.एम.सी खान का संयोजन:

ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव ने मैसर्स ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के खनन योजना की समीक्षा के दौरान यह निर्णय लिया कि टेंटुलोई से वैतरणी (पश्चिम) का संयोजन रेल द्वारा किया जायेगा। बैठक का कार्यवृत्त एवं एमडी/ओएमसी के अनुवर्ती पत्र के द्वारा एमसीएल मुख्यालय को दिनांक-02.03.2017 को सूचित किया गया कि भविष्य में यह कार्य एमसीआरअएल के पश्चिम गलियारे का हिस्सा होगा, इस बात को ध्यान में रखते हु एइरकॉन का सर्वेक्षण एवं व्यवहार्यता रिपोर्ट/डीपीआर प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।

2. संगठन

ओडिशा राज्य के रेल गलियारे के वाहनों को खास प्रयोजन(एस.पी.वी.) के अनुकूल बनाये जाने के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड औऱ ओडिशा औद्योगिक विकास संरचना निगम (इडको) के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए, इस तरह महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) को 31 अगस्त, 2015 से एक पृथक कंपनी के रूप में 64:26:10 के सहभागिता अनुपात में शामिल किया गया। इस जोखिमपूर्ण कार्य को केन्द्र सरकार औऱ राज्य सरकार के प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया गया। रेलवे की ओर से इसे तकनीकी सहायता और एमसीएल की ओर से व्यावसायिक समर्थन मिला, जिससे कोयला खदाने तार्किक चुनौतियों का सामना कर सके। रेल के बुनियादी ढांचे और रेल गलियारों के बाहर यातायात से उत्पन्न राजस्व के बटवारे में निवेश करके एक सहभागी व्यापार मॉडल के माध्यम से उद्यम को बनाए रखने पर विचार किया गया है।

समझौता ज्ञापन के अनुरूप इडको के इक्विटी शेयर के तहत भूमि का मूल्य 10% या उससे अधिक होने पर ओडिशा सरकार द्वारा उसे उपलब्ध कराया जाएगा। यदि दी गई भूमि का मूल्य ओडिशा सरकार ने 10% से अधिक बढाया हो तो आईडीसीओ और एमसीएल की हिस्सेदारी के प्रतिशत को उसी हिसाब से संशोधित किय़ा जाएगा। यदि ओडिशा सरकार को राज्य सरकार के द्वारा भूमि का स्वामित्व मिला है तो (राजस्व और वनभूमि) के मूल्य के अनुरूप ही समायोजित किया जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन योजना संबंधित विविध प्रस्ताव, क्षतिपूर्ति वनीकरण, शुद्ध वर्तमान मूल्य, वन्यजीव प्रबंधन योजना, सीमांकन की लागत एमसीआरएल द्वारा की जाएगी। रेलवे परियोजनाओं पर डोमेन विशेषज्ञता रखने और दो चरणों में निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में IRCON के माध्यम से कार्य करने हेतु प्रारंभिक गतिविधियों को करने की कल्पना की गई है। संपत्ति के रखरखाव, छूट और संचालन के लिए एमसीआरएल रेल मंत्रालय के साथ अलग समझौते में प्रवेश करेगा।

3. पूँजीगत संरचना

वर्ष के दौरान किए गए समीक्षा के अनुसार कंपनी के किसी भी प्राधिकृत, जारी एवं चुकता पूँजी में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा जिसकी कीमत रू 5.00 .लाख तय है। ईक्विटी शेयर धारक स्वरूप के समर्थन वाली कंपनियां

निम्नलिखित हैः

संस्थापक कंपनी का नाम	31.03.2019 के अनुसार शेयरहोल्डिंग पैटर्न	31.03.2018 के शेयर होल्डिंग पैटर्न
1. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	64%	64%
2. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	26%	26%
3. ओडिशा औद्योगिक संरचना विकास निगम	10%	10%
कुल	100%	100%

4. <u>वित्तीय परिणाम</u>-

वित्तीय वर्ष 2018-19 के वित्तीय परिणाम निम्नानुसार है -

विवरण	31.03.2019 (रु.) को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष की आय	0.52
वर्ष में होने वाले व्यय से अवमूल्यन और ऋण परिशोधन व्यय को छोड़कर	1.53
लाभ या हानि के पूर्व अवमूल्यन और परिशोधन व्यय	(1.01)
घटाव : अवमूल्यन और ऋण परिशोधन व्यय	0.00
अवमूल्यन और ऋण परिशोधन व्यय के पश्चात् परंतु कर पूर्व लाभ या हानि	(1.01)
घटाव : चालू कर	0.00
कर के पश्चात लाभ या हानि	(1.01)

कंपनी निर्माण स्थिति में है और उसे परिचालित करने की गतिविधियों को अभी प्रारंभ नहीं किया गया हैं। अत: सभी संबंधित व्यय कंपनी के द्वारा किए जाते हैं जिसे प्रत्यक्ष रूप से परियोजना के वित्तीय वर्ष 2018-19 की अवधि के दौरान पूँजीकृत किए गए हैं तथा अन्य अप्रत्यक्ष व्यय पर “लाभ और हानि" विवरण पर चार्ज किया गया हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (धारक कंपनी) से रूपये 4249.58/- लाख की असुरक्षित अल्पावधि ऋण ली है।

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 की शर्तों तथा सुसंगत अधिनियम के प्रावधान और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी किए गए और लागू होने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 133 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों के अंतर्गत भारत में स्वीकृत लेखाकंन सिद्धान्त (इंडियन जी.ए.ए.पी.) के अनुसार कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार किया गया है। एक नए जारी किए गए लेखांकन मानक, को यदि प्रारंभ में अपनाया गया हो या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता हो, तो लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया जाएगा। प्रबंधन द्वारा सभी नवीनतम आधार पर जारी किए गए या संशोधित लेखा मानकों का मूल्यांकन किया जाता है। कंपनी के स्टंडरलोन लेखा परीक्षाओं के वित्तीय परिणाम का खुलासा तिमाही और वार्षिक आधार पर किया जाता है।

5. लाभांश

कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी लाभांश को घोषित नहीं किया है।

6. रिजर्व

कंपनी ने रिजर्वों में किसी भी राशि का हस्तांतरण नहीं किया है।

7. सरकारी राजकोष से अंशदान

शून्य

8. अनुषंगी संयुक्त उद्यम कंपनियाँ-

आपकी कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसकी कोई आनुषंगी/ संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

9. जमा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 तथा इसके तहत बनाए गए नियम के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा राशि स्वीकृत नहीं की है।

10. जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए कंपनी के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में जोखिम की पहचान, आकलन और उसके नियंत्रण हेतु अंतर्निहित जोखिम, बाहरी और आंतरिक, आवश्यक नियंत्रण उपायों के कारण जोखिम प्रभावों को नियमित तौर पर महत्व देता है। प्रबंधन नियमित रूप से सभी महत्पूर्ण कार्यों पर नजर रखता है।

11. संबंधित पार्टी से लेनदेन

वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज किए गए सभी संबंधित पार्टी लेनदेन आर्म्स लेंथ आधार और व्यवसाय के ओर्डिनरी कोर्स में थे। कंपनी द्वारा प्रमोटरों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ निर्मित लेन-देन भौतिक रूप से महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं है, जिससे कि कंपनी के हित के साथ कोई संभावित संघर्ष उत्पन्न हो सकता है।

12. ऋण की गारंटी व निवेश का विवरण

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2015 को जारी स्पष्टीकरण तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (4) और (11) के अनुसार किए गए निवेश का पूर्ण विवरण, दिए गए ऋण या गारंटी प्रदान किए गए सुरक्षा के वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है, और जिस उद्देश्य के लिए प्राप्तकर्ता द्वारा ऋण या गारंटी या सुरक्षा का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया जाता है, उसका खुलासा किया गया है।

13. सतर्क तंत्र व /विहसल ब्लोअर नीति

एक सरकारी कंपनी के रूप में कंपनी की गतिविधियाँ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सतर्कता केंद्रीय जाँच ब्युरो आदि के द्वारा लेखा परीक्षा के लिए खुली होती हैं।

14. लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंतर्गत निम्नलिखित लेखा फर्म को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया ।

मेसर्स विजय धनिराम एंड कंपनी,सनदी लेखाकार,मारवाड़ीपाड़ा, धोबीगली,
सम्बलपुर -768001, ओड़िशा

15. निदेशक मंडल

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड में निदेशक मण्डल के सदस्यों की संख्या 7 (सात) है, जिनमें एमसीएल के अध्यक्ष तथा मनोनीत 2(दो) निदेशक, इरकॉन के मनोनीत 2(दो) निदेशक, इडको के मनोनीत 01 निदेशक तथा रेल मंत्रालय के मनोनीत 01 निदेशक शामिल हैं।

निदेशक मण्डल की संरचना दिनांक 31.03.2019 के अनुसार निमन्वत है :

क्र.सं .	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
1.	ओ. .	अध्यक्ष	01.03.2019
2.	श्री के.आर. वासुदेवन	निदेशक	12.02.2018
3.	श्री अनवर हु शेन	निदेशक	22.03.2019
4.	श्री दीपक सभलोक	निदेशक	01.05.2017
5.	श्री एस.एल गुप्ता	निदेशक	25.08.2016
6.	श्री एस.के. मोहांती	निदेशक	01.06.2016
7.	श्री अभिजीत नरेंद्र	निदेशक	02.08.2017

16. बोर्ड की बैठकें-

केलेण्डर वर्ष 2018 में 05 बार बोर्ड बैठकें आयोजित की गई तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान दिनांक 09.05.2018, 28.08.2018 तथा 26.12.2018 को 3 बार बैठक की गई, दो बैठकों के बीच 120 दिन से कम समय का अंतराल रहा। इस अवधि के दौरान बोर्ड के बैठकों तथा उपस्थित निदेशकों का विवरण निम्नानुसार है।

निदेशकों के नाम	श्रेणी/ नामांकित	बोर्ड की बैठक	
		कार्यकाल	उपस्थिति
श्री जे. पी. सिंह	अध्यक्ष ,गैर-कार्यकारी (एमसीएल)	03	03
श्री एल.एन मिश्रा	गैर- कार्यकारी (एमसीएल)	03	02
श्री के. आर. वासुदेवन	गैर- कार्यकारी (एमसीएल)	03	03
श्री एस.एल. गुप्ता	गैर- कार्यकारी (इरकॉन)	03	03
श्री दीपक सभलोक	गैर- कार्यकारी (इरकॉन)	03	01
श्री अभिजीत नरेंद्र	सरकार द्वारा नामित गैर- कार्यकारी (रेल मंत्रालय)	03	02
श्री एस. के. मोहंती	गैर- कार्यकारी (इडको)	03	02

17. **<u>ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेशन और विदेशी मुद्रा का आय एवं व्यय</u>**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एम) तथा कंपनी नियमावली 2014**,** के नियम 8(3) के साथ इसे पढ़ा जाए**,** जिसमें उर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेश, विदेशी मुद्रा के आय तथा व्यय से संबंधित जानकारी इस रिपोर्ट में संलग्नीत हैं।

18. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 को कंपनी नियमावली 2014 (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा उनकी परिश्रमिक)**के नियम 5(2) के साथ पढ़ा जाए जिसमें कर्मचारियों को दिने जाने वाले पारिश्रमिक की जानकारी उपलब्ध हो।**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 को कंपनी नियमावली 2014 (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा उनकी परिश्रमिक)के नियम 5(2) के अनुसार उपलब्ध जानकारी के तहत आपके कंपनी पर यह लागू नहीं होती क्योंकि कंपनी के कर्मचारी को आहरण रू 5,00,000/ हर माह या रू 60,00,000 प्रतिवर्ष से ज्यादा नहीं मिलता या आहरण प्रबंधकिय निदेशक या पूर्णं कालिक निदेशक या प्रबंध और स्वयं नियंत्रण या किसी पति/पत्नी के और आश्रित बच्चे, हो तो तभी कंपनी के दो प्रतिशत इक्वटी शेयर मिलती हैं।

19.**<u>निदेशकों का दायित्वपूर्ण वक्तव्य-</u>**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के आवश्यकतानुसार माननीय सभी निदेशकों के दायित्वपूर्ण वक्तव्यों की पुष्टि -

1. 31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सामग्री निर्गत संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों (लेखा टिप्पणियों के खुलासे के अलावा) का अनुसरण किया गया है।
2. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीति का चयन कर उसका सुसंगत प्रयोग किया एवं उचित तथा विवेकपूर्ण निर्णय सहित आकलन किया है, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति तथा आलोच्य वर्ष में कंपनी के लाभ एवं हानि का सही तथा उचित जानकारी दी जा सके।
3. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने तथा रोकथाम करने हेतु कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार समुचित लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए निदेशकों द्वारा उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
4. निदेशकों ने 31.3.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए क्रियाशील कारोबार 'गोइंग कंसर्न' के आधार पर खातों को तैयार किया है।
5. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और इस तरह के प्रणाली पर्याप्त थी और प्रभावी ढंग से परिचालन कर रही थी।

20. बैकर्स का नाम एवं पता:

क्र.सं.	नाम	शाखा का पता
1	भारतीय स्टेट बैंक	एमसीएल कॉम्प्लेक्स शाखा,जागृति विहार,बुर्ला,संबलपुर
2.	आईसीआईसीआई बैंक	सचिवलय मार्ग, बर्मा नगर, यूनिट -04, भूबनेश्वर -751001

21. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी :

भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखा पर की गई टिप्पणी इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

22. लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में दिए गए पर्यवेक्षण को संबंधित टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए, जो स्वत: स्पष्ट है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत जिस पर किसी और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। रिपोर्ट संलग्नित है।

23. आभार :

आपके निदेशकगण कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय और ओडिशा सरकार,कोल इंडिया लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा ओडिशा इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन के प्रति उनकी बहुमूल्य सहायता, समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशकगण जिला प्रशासन तथा उन सभी के प्रति जिन्होंने रेल कोरिडोर के विकास में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समय-समय पर सहायता एवं सहयोग दिया है उनके प्रति आभार व्यक्त किया है।

आपके निदेशकगण सभी अंशधारियों को प्रबंधन का लगातार सहयोग देने तथा विश्वास बनाये रखने हेतु धन्यवाद एवं शुभकामनाएं देते हैं। आपके निदेशकगण कर्मचारियों एवं उनके संगठनों के सभी स्तरों पर प्रगति प्राप्त करने एवं लक्ष्य के निकट पहुँचने, अथक प्रयास और योगदान के लिए उनकी ऑन-रिकार्ड प्रशंसा करते हैं।

आपके वाणिज्य लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा ऑडिट बोर्ड-।।, कोलकाता, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय और कंपनी के रजिस्ट्रार, ओडिशा के कार्यालय के पदेन सदस्य द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रशंसा दर्ज की है।

24. परिशिष्ट

निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है :

1. ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेश और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय से संबंधित सूचना (अनुलग्नक-।) में दी गई है।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट(अनुलग्नक- ।।) में दी गई है।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी (अनुलग्नक- ।।।) में दी गई है।

दिनांक -03.06.2019
स्थान- सम्बलपुर

हस्ता/
(ओ. पी. सिंह)
अध्यक्ष

अनुलग्नक-I

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा का आय एवं व्यय

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (m) के तहत् सूचना जिसे कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) तथा निदेशकों की रिपोर्ट के भाग के साथ पढ़ा जाए)

(क) ऊर्जा संरक्षण-

(i) उठाए गए कदम या ऊर्जा संरक्षण का प्रभाव: शून्य

(ii) कंपनी द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के उपयोग के लिए उठाए गए कदम: शून्य

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूँजीगत व्यय: शून्य

(ख) प्रौद्योगिकी समावेशन-

(i) प्रौद्योगिकी समावेशन के लिए किये गए प्रयास : शून्य

(ii) उत्पादन सुधार,लागत में कमी,उत्पादन विकस या आयात विकल्प आदि से प्राप्त लाभ: शून्य

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी (गत तीन वर्षों के दौरान आयातित जिसे वित्तीय वर्ष के शुरू से माना गया) के मामले में : शून्य

(iv) अनुसंधान एवं विकास पर किए गए व्यय: शून्य

(ग) विदेशी मुद्रा विनिमय आय एवं व्यय-

कंपनी का गठन 31 अगस्त, 2015 को हुआ है एवं इस तरह कोई गतिविधि प्रारंभ नहीं हुई है। विदेशी विनिमय के तहत् आय तथा व्यय से संबंधित कोई लेन-देन नहीं की गई है।

(लाख रूपये में)

विवरण	**2018-2019**
कुल प्राप्त विदेशी मुद्रा(निर्यात का एफ.ओ.बी. मूल्य)	-
प्रयुक्त कुल विदेशी मुद्रा :	
i) कच्चा माल	-
ii) उपयोग योग्य भंडार	-
iii) पूँजीगत सामग्री	-
iv) विदेश यात्रा	-
v) अन्य	-

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन **अनुलग्नक-II**

सेवा में
सदस्यगण, महानदी कोल रेलवे लिमिटेड
वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणी:

हमने 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (कंपनी) के संलग्न तुलनपत्र एवं लाभ-हानि लेखा के साथ-साथ उसी तिथि को समाप्त वर्ष के नकद प्रवाह विवरणी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों व अन्य विवरणात्मक सूची की लेखा परीक्षा की है। (तत्पश्चात स्टैंडअलोन को भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरण के रुप में माना गया)।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:
कंपनी अधिनियम 2013 ("दी एक्ट") की धारा 134(5) से संबंधित मामलों के निपटान हेतु कंपनी के निदेशक मंडल उत्तरदायी होंगे। इन विवरणियों में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का, भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 133, जिसे कंपनी (एकाउंट्स) रूल्स 2014 के नियम, 7 के साथ पढ़ा जाए, में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नगदी प्रवाह के सत्य और सही प्रकटन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी का उत्तरदायित्व है कि वे कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथोचित लेखा अभिलेखों को बनाए रखें जो धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने के लिए यथोचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करने,उचित व विवेकपूर्ण निर्णय व अनुमान करने व ऐसी यथोचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू करने व बनाए रखने, जो प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करती हो, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित हो और सत्य व निष्पक्ष कथन का आलोकन कराती हो और जो किसी धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से होनेवाले मिथ्याकथन से मुक्त हों ।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व:

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर अपना मत व्यक्त करना है।

लेखा परीक्षण करते समय हमने लेखा परीक्षा अभिलेखों में शामिल किए जाने वाले आवश्यक अधिनियम के प्रावधानों, अधिनियम के तहत ऐसे प्रावधानों को जो लेखा व लेखापरीक्षा मानकों एवं तदाधीन नियमों को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा किया। ये मानक नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार योजित व निष्पादित

किया कि हमें जो वित्तीय विवरण प्राप्त हुए उसमें किसी मिथ्याकथन के न होने के प्रति हम आश्वस्त हैं ।

लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणियों में राशि और प्रकटन के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय और वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है चाहे यह धोखे से हो अथवा चूक से।

इन जोखिम मूल्यांकनों को करने में लेखापरीक्षक कंपनी के संगत आंतरिक नियंत्रण और परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखा परीक्षा अपनाने में वित्तीय विवरणियों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता व वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल हैं।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु, पर्याप्त और उपयुक्त है।

मत:

हमारे मत में और हमारी पूर्ण जानकारी में हमें दी गई स्पष्टीकरण अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप है, वित्तीय विवरण की सूचना दी गई है। भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के समरूप कंपनी के मामले में **31/03/201**9 की स्थिति के अनुसार तथा उसी तरीख को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए नगद प्रवाह की सत्य और सही जानकारी प्रदान की है।

अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकाओं पर रिपोर्ट:

(i) भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार जारी यथासंशोधित कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('दी आर्डर') में यथा वांछित लागू सीमा तक, हम आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण अनुलग्नक में देते हैं।

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) की आवश्यकताओं के अनुसार हम इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-'ख' पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के निर्देशों के अनुसार विवरणी, लेखा परीक्षा की प्रक्रियानुसार इस पर की गई कार्रवाई तथा कंपनी के लेखा और वित्तीय विवरणी पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुपालन किया गया है।

अधिनियम की धारा 143(3) में यथावांछित सीमा तक हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास में सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारे मत में कंपनी ने विधि द्वारा वांछित उचित लेखा-बहियां रखी हैं, जहां तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट के साथ तुलन-पत्र, लाभ व हानि विवरणी और नगदी प्रवाह विवरणी लेखा-बहियों के संगत में हैं।

(घ) हमारे मत में, उपरोक्त वित्तीय विवरणी का अनुपालन कंपनी अधिनियम की धारा 133 में उल्लिखित लेखा मानक के साथ किया जाता है, जिसे कंपनीज (एकाउंट्स) नियम,2014 के नियम-7 के साथ पढ़ी जाए।

(ङ) निदेशक मंडल द्वारा अभिलेखित अनुसार दिनांक 31.03.2019 को कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर कंपनी का कोई भी निदेशक दिनांक 31.03.2019 को अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक की नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं है।

(च) हमारे मत में, हमारी पूर्ण जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनीज (ऑडिट एंड ऑडिटर्स) नियमावली, 2014 के नियम 11 से संबंधित अन्य मामलों को शामिल किया जाएगा।

i. **कंपनी के पास कोई भी लंबित मुकदमा नहीं है जो उसके वित्तीय विवरणी में उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।**

ii. **कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है, जिसके लिए कोई भी भौतिक संभावित नुकसान हुआ था ।**

iii. **कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोश को स्थानांतरित करने के लिए कोई राशि आवश्यक नहीं थी।**

तिथि: 29 अप्रैल,2019
स्थान: संबलपुर

कृते, विजय धनीराम एंड कंपनी
(अधिकृत लेखापाल)
पंजी. सं.- 324629ई

हस्ता/--
(विजय कुमार अग्रवाल)
स्वत्वधारी /प्रोपराइटर
सदस्यता संख्या: 060126

अनुलग्नक-क

लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन हेतु अनुलग्नक

("अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" के अधिन उसी तारीख पर आपकी रिपोर्ट के अनुभाग के पैराग्राफ में संदर्भित किया जाता है।)

i) स्थायी परिसंपत्तियों के संबंध में :

क. कंपनी मात्रात्मक विवरण और निश्चित परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाये रखती है।

ख. उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा निश्चित संपत्तियों को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है।

ग. इस तरह के सत्यापन के तहत् किसी भी प्रकार की सामग्री विसंगतियां नहीं पायी गई है।

ii) वस्तु सूची के संबंध में:

वर्ष के दौरान कंपनी के पास सामग्री, पुर्जे और अपरिष्कृत सामग्री का कोई भंडार नहीं है।

iii) **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत सम्मिलित पक्षो का ऋण एवं अग्रिम**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत सम्मिलित पक्षो को वर्ष के दौरान कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया गया है।

iv) **ऋण, निवेश, गारंटी और प्रत्याभूति:**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के अनुपालन के संबंध मे कंपनी ने किसी प्रकार के ऋण/निवेश/गारंटी/सुरक्षा नहीं दी है।

v) **जनता से जमा धन को स्वीकार करना:**

हमे दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने जनता से कोई जमा धन स्वीकार नहीं किया गया है इसलिए कंपनी पर यह खंड लागू नहीं होता।

vi) **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत लागत अभिलेखों का अनुरक्षण:**

लागू नहीं।

vii) **संवैधानिक बकाया के संबंध में: शून्य**

viii) **बैंक या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के भुगतान में गबन:**

कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था या बैंक से कोई ऋण नहीं लिया है, इसलिए यह खंड लागू नहीं है।

ix**) प्रारम्भिक पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर (ऋण दस्तावेज़ सहित) के माध्यम से धन उगाही तथा आवधिक ऋण उन उद्देश्यों के लिए लागू किए गए थे जिनके लिए ये लिए गए है।**

कंपनी ने प्रारम्भिक पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर (ऋण दस्तावेज़ सहित) तथा आवधिक ऋण के द्वारा किसी धन की उगाही नहीं की है, यह खंड लागू नहीं है।

x) वर्ष के दौरान धोखाधड़ी की रिपोर्ट (प्रकार और राशि):

हमे दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी धोखाधड़ी की सूचना प्राप्त नहीं की गई है।

xi) **प्रबंधकीय पारिश्रमिक:**

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई प्रबंधकीय परिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है।

xii) **निधि कंपनी से संबन्धित**

लागू नहीं।

xiii) **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 व 188 का अनुपालन करते हुए संबंधित पक्षो का लेनदेन:**

हमे दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष के साथ कोई लेन-देन नहीं है

xiv) **वर्ष के दौरान अधिमान्य आबंटन या शेयरों का निजी स्थापन या पूर्ण अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्र:**

कंपनी ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किसी अधिमान्य आबंटन या शेयरों का निजी स्थापन या पूर्ण अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनिय ऋणपत्र तैयार नहीं किए है।

xv) **कंपनी से जुड़े निदेशकों या व्यक्तियों के साथ गैर-नगद लेन-देन:**

कंपनी ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान उससे जुड़े निदेशकों या व्यक्तियों के साथ गैर-नगद लेन-देन नहीं किया है।

xvi) **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-1A के तहत पंजीकरण:**

लागू नहीं।

तिथि : 29 अप्रैल, 2019

स्थान : संबलपुर

कृते विजय धनिराम एंड कंपनी.

(सनदी लेखाकार)

पंजी. संख्या- 324629ई

ह/-

सनदी लेखाकार विजय कुमार अग्रवाल

प्रोपराइटर

सदस्य संख्या-060126

अनुलग्नक-ख

कंपनी अधिनियम, 2013 की 143 (5) के तहत दिशा-निर्देशों के अनुसरण में प्रतिवेदन ।

कंपनी : ***महानदी कोल रेलवे लिमिटेड .***

जागृति विहार, बुर्ला , सम्बलपुर - 768020

वित्तीय वर्ष : **2018-2019**

1. क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर के खातों की विश्वसनीयता पर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ को वित्तीय निहितार्थ, के साथ बताया जा सकता है, यदि कोई हो।	**लागू नहीं**
2. क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए कर्ज / ऋण / ब्याज आदि के छूट / राइट ऑफ का मामला हुआ है? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।	**हमें दी गई जानकारी के अनुसार, लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान ऋण / ऋण / ब्याज आदि की छुट का कोई प्रकरण नहीं था।**
3. क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्य धनराशि का नियमों और शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	**लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है**

तिथि : 29 अप्रैल, 2019
स्थान : संबलपुर

कृते विजय धनिराम एंड कंपनी.
(सनदी लेखाकार)
पंजी. संख्या- 324629ई
ह/-
सनदी लेखाकार विजय कुमार अग्रवाल
प्रोपराइटर
सदस्य संख्या-060126

अनुलग्नक –ग

कंपनी अधिनियम, 2013 की 143 (5) के तहत दिशा-निर्देशों के अनुसरण में प्रतिवेदन ।

कंपनी : ***महानदी कोल रेलवे लिमिटेड .***

जागृति विहार, बुर्ला , सम्बलपुर - 768020

वित्तीय वर्ष : **2018-2019**

1. क्या कंपनी ने किसी क्षेत्र के विलय / विभाजन / पुनः संरचना के समय परिसंपत्तियों और संपत्तियों का भौतिक सत्यापन अभ्यास किया है। यदि हां, तो क्या संबंधित सहायक ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है?	**लागू नहीं**

तिथि : 29 अप्रैल, 2019

स्थान : संबलपुर

कृते विजय धनिराम एंड कंपनी.

(सनदी लेखाकार)

पंजी. संख्या- 324629ई

ह/-

सनदी लेखाकार विजय कुमार अग्रवाल

प्रोपराइटर

सदस्य संख्या-060126

<u>अनुपालन प्रमाण पत्र</u>

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत् भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश/उप-निर्देश के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए हमने महानदी कोल रेलवे लिमिटेड की लेखा परीक्षा आयोजित की है तथा यह प्रमाणित किया है कि हमें जारी किये गए निर्देश/उप निर्देश का हमने अनुपालन किया है।

तिथि : **29 अप्रैल, 2019**
स्थान : संबलपुर

कृते विजय धनिराम एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
पंजीकरण संख्या – 324629ई

हा-
सनदी लेखाकार विजय कुमार अग्रवाल
प्रोपराइटर
सदस्य संख्या-060126

<u>अनुलग्नक – III</u>

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोल रेलवे लिमिटेड लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिए गए वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है । अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143, धारा 143(10) के तहत निर्धारित मानक लेखा परीक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उनके द्वारा लेखा परीक्षा, दिनांक 29 अप्रैल, 2019 में ऐसा करने का उल्लेख किया गया है।

मैने भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखाकार के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण का पूरक लेखा परीक्षण ना करने का निर्णय किया है।

कृते एवं भारत के लेखा नियंत्रक एवं
महालेखाकार की ओर से
हस्ता/-
(मौसूमी राय भट्टाचार्य)
महानिदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-II
कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 10.05.2019

तुलनपत्र

(₹ लाख में)

	टिप्पणियाँ	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
परिसंपत्तियाँ			
गैर चालू परिसम्पत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	27.07	9.08
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	4	3,725.42	3,351.91
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां	5	-	-
(घ) मूर्त परिसम्पत्तियाँ	6	-	-
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	7	-	-
(ii) ऋण	8	-	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	-	-
(च) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (निवल)			
(छ) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ	10	648.33	1.38
कुल गैर चालू परिसम्पत्तियाँ (क)		**4,400.82**	**3,362.37**
चालू परिसम्पत्तियाँ			
(क) वस्तुसूची	12	-	-
(ख) वित्तीय परिसंपातियाँ			
(i) निवेश	7	-	-
(ii) व्यापार प्राप्तियाँ	13	-	-
(iii) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	14	5.69	21.13
(iv) अन्य बैंक बैलेन्स	15	-	-
(v) ऋण	8	-	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपातियाँ	9	1.43	3.54
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)		0.33	0.31
(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	11	-	0.05
कुल चालू परिसम्पत्तियाँ(ख)		**7.45**	**25.03**
कुल परिसंपातियाँ (क+ख)		**4,413.14**	**3,387.40**

तुलनपत्र

(₹ लाख में)

	टिप्पणियाँ	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
इक्विटी एवं देयताएँ			
इक्विटी			
क) इक्विटी शेयर पूँजी	16	5.00	5.00
(ख) अन्य इक्विटी	17	(2.65)	(1.64)
कुल इक्विटी (क)		**2.35**	**3.36**
देयताएं			
गैर-चालू देयताएं			
(क)वित्तीय देयताएं			
(i) उधारी	18	-	-
(ii) अन्य चालू देयताएं	20	-	-
(ख) प्रावधान	21	-	-
(ग) अन्य गैर चालू देयताएं	22	-	-
कुल गैर-चालू देयताएं (ख)		**-**	**-**
चालू देयताएं			
(क)वित्तीय देयताएं			
(i) उधारी	18	-	-
(ii) भुगतान योग्य व्यापार	19		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया देय			
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया देय		46.02	68.45
(iii) अन्य चालू देयताएं	20	4,293.58	2,218.18
(ख) अन्य चालू देयताएं	23	71.19	1,097.41
(ग) प्रावोधान	21	-	-
कुल चालू देयताएं (ग)		**4,410.79**	**3,384.04**
कुल इक्विटी एवं देयताएं (क+ख+ग)		**4,413.14**	**3,387.40**

संगत टिप्पणी वित्तीय विवरणी का अभिन्न अंग है ।

ह/-
(बी.पी मिश्रा)
वरीय प्रबंधक (वित्त)

ह/-
(पी.के स्वर्णकर)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
(एस.सी .राए)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

बिजय धनिराम अँड को.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं - 324629ई
ह/-
(सीए बी. के. अग्रवाल)
प्रोपराइटर
(सदस्य संख्या . 060126)

ह/-
(एस.के मोहांती)
निदेशक

ह/-
(ओ.पी सिंह)
अध्यक्ष

दिनांक:29.04.2019
स्थान: सम्बलपुर

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा का विवरण

(₹ लाख में)

		टिप्पण	31.03.2019 के अवधि के अनुसार	31.03.2018 के अवधि के अनुसार
	संचालन से प्राप्त राजस्व			
क	सकल विक्रय	24	-	-
ख	संचालन से प्राप्त अन्य राजस्व (उत्पाद शुल्क को छोड़ कर सकल सांविधिक लेवी)			
(I)	**संचालन से प्राप्त राजस्व (क+ख)**			
(II)	अन्य आय	25	0.52	0.11
(III)	**कुल आय (I+II)**		**0.52**	**0.11**
(IV)	**व्यय**			
	खपत वस्तुओं की लागत	26	-	-
	तैयार माल/कार्य प्रगति पर एवं व्यापार भंडार की परिसंपत्तियों में परिवर्तन	27	-	-
	उत्पाद शुल्क		-	-
	कार्मिक हितलाभ पर व्यय	28	-	-
	बिजली पर व्यय		-	-
	कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय	29	-	-
	मरम्मत	30	-	-
	संविदात्मक व्यय	31	-	-
	वित्तीय लागत	32	-	-
	मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि		-	-
	प्रावधान	33	-	-
	बट्टे खाते डालना	34	-	-
	अन्य व्यय	35	1.53	0.62
	कुल व्यय(IV)		**1.53**	**0.62**
(V)	**अपवादात्मक मदें और टैक्स से पहले लाभ (I-IV)**		**-1.01**	**-0.51**
(VI)	अपवादात्मक मदें		**-**	**-**
(VII)	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**			**-0.51**
(VIII)	कर पर व्यय	36	-	-
(IX)	**निरंतर परिचालन की अवधि के लिए लाभ(VII-VIII)**		**-1.01**	**-0.51**
(X)	विच्छिन्न संचालन से लाभ/(हानि)			
(XI)	विच्छिन्न संचालन के कर पर खर्च			
(XII)	विच्छिन्न संचालन से लाभ(हानि) (कर पश्चात) (X-XI)			
(XIII)	संयुक्त उद्यम / एसोसिएट्स लाभ/ (हानि) में शेयर			
(XIV)	**अवधि के लिए लाभ(IX+XII+XIII)**		**-1.01**	**-0.51**
	अन्य व्यापक आय		-	-
	क (i) मदे जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	37		
	(ii)आयकर से संबंधित मदे जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	ख (i) मदे जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	(ii) आयकर से संबंधित मदे जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा			
(XV)	**कुल अन्य वृहत आय**			
(XVI)	**अवधि के लिए कुल वृहत आय (XIV + XV) (अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय में शामिल है)**		**-1.01**	**-0.51**

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा का विवरण

(₹ लाख में)

		टिप्पण	31.03.2019 के अवधि के अनुसार	31.03.2018 के अवधि के अनुसार
	मुनाफे का श्रेय:			
	कंपनी के मालिक		**-1.01**	**-0.51**
	अनियंत्रित ब्याज			
	कुल व्यापक आय विशेषकर:			
	कंपनी के मालिक			
	अनियंत्रित ब्याज			
	कुल व्यापक आय विशेषकर:			
	कंपनी के मालिक		**-1.01**	**-0.51**
	अनियंत्रित ब्याज			
(XVII)	**प्रति ईक्वीटी शेयर अर्जन (अविच्छिन्न संचालन के लिए):**			
	(1) मूलभूत		-2.02	-1.02
	(2) तरलीकृत		-2.02	-1.02
(XVIII)	**प्रति शेयर अर्जन (विच्छिन्न संचालन के लिए):**			
	(1) मूलभूत			
	(2) तरलीकृत			
(XIX)	**प्रति शेयर अर्जन (विच्छिन्न एवं अविच्छिन्न संचालन के लिए):**			
	(1) मूलभूत		-2.02	-1.02
	(2) तरलीकृत		-2.02	-1.02

ह/-
(बी.पी मिश्रा)
वरीय प्रबंधक (वित्त)

ह/-
(पी.के स्वर्णकर)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
(एस.सी .राए)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

बिजय धनिराम अँड को.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं - 324629ई

ह/-
(सीए बी. के. अग्रवाल)
प्रोपराइटर
(सदस्य संख्या . 060126)

ह/-
(एस.के मोहांती)
निदेशक

ह/-
(ओ.पी सिंह)
अध्यक्ष

दिनांक: 29.04.2019
स्थान: सम्बलपुर

नगद प्रवाह का विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

(₹ लाख में)

		31.03.2019 के अवधि के अनुसार	31.03.2018 के अवधि के अनुसार
परिचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह			
कर से पहले कुल व्यापक आय		(1.01)	(0.51)
समायोजन के लिए:		-	-
अचल परीसंपत्तियों की हानि/ मूल्यह्रास		-	-
बैंक जमा से प्राप्त ब्याज		-	-
वित्तीय गतिविधियों से संबंधित वित्त लागत		-	-
ब्याज /निवेश से लाभांश		-	-
संपातियों की बिक्री पर लाभ/हानि		-	-
प्रावधान एवं अवधि के दौरान बट्टे खाते में डालना		-	-
अवधि के दौरान देयता का प्रतिलेखन		-	-
चालू/गैर-चालू परिसंपतियों और देनदरियों से पूर्व परिचालन लाभ ।		**(1.01)**	**(0.51)**
समायोजन के लिए:		-	-
व्यापार स्वीकार्य		-	-
वस्तुसूची		-	-
लघु/दीर्घ अवधि ऋण/ अग्रिम एवं अन्य चालू परिसंपातियाँ		(644.81)	(2.18)
लघु/दीर्घ अवधि देयताएँ एवं प्रावधान		1,026.75	1,964.76
प्रचालन से नगद प्राप्ति		**381.94**	**1,962.58**
आय कर का भुगतान / वापसी		-	-
प्रचालन गतिविधियों से निवल नगद प्रवाह	**(A)**	**380.93**	**1,962.07**

निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह			
अचल परिसंपत्तियों की खरीद		(391.50)	(1,942.08)
बैंक जमा मे निवेश		-	-
निवेश में बदलाव		-	-
संयुक्त उद्यम में निवेश		-	-
निवेश गतिविधियों से संबंधित ब्याज		-	-
निवेश से ब्याज/लाभांश		-	-
निवेश गतिविधियों से निवल नगद	**(B)**	**(391.50)**	**(1,942.08)**
वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह			
शेयर पूंजी का मुद्दा		-	-
उधार का पुनः भुगतान		-	-
लघु अवधि उधार		-	-
वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ब्याज एवं वित्तीय लागत		-	-
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि की प्राप्ति		-	-
लाभांश और लाभांश कर		-	-
इक्विटी शेयर पूंजी का पुन: क्रय		-	-
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद	**(C)**	**-**	**-**
नगद एवं बैंक शेष में निवल वृद्दि/(कमी) (क+ख+ग)		**(10.57)**	**19.99**
नगद और बैंक शेष (प्रारंभिक शेष)		**21.13**	**1.14**
नगद और बैंक शेष (अंतिम शेष)		**10.56**	**21.13**
(कोष्टक के सभी आंकड़े आउटफ्लो को दर्शाते हैं)			

ह/-
(बी.पी मिश्रा)
वरीय प्रबंधक (वित्त)

ह/-
(पी.के स्वर्णकर)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
(एस.सी .राए)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

बिजय धनिराम अँड को.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं - 324629ई

ह/-
(एस.के मोहांती)
निदेशक

ह/-
(ओ.पी सिंह)
अध्यक्ष

ह/-
(सीए बी. के. अग्रवाल)
प्रोपराइटर
(सदस्य संख्या . 060126)

दिनांक: 29.04.2019
स्थान: सम्बलपुर

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूँजी

`.लाख में

ब्यौरा	01.04.2017 को बकाया के अनुसार	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2018 को बकाया के अनुसार	01.04.2018 को बकाया के अनुसार	नौ महीने के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में	31.03.2019 को बकाया के अनुसार
50000 इक्विटी शेयर में प्रत्येक ₹10/-	5.00	-	5.00	5.00	-	5.00

ख. अन्य इक्विटी

	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय (अधिशेष)	अन्य व्यापक आए	कुल
	कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व	कैपिटल रिजर्व				
01.04.2017 को पुनः घोषित बकाया के अनुसार	-	-	-	(1.13)	-	(1.13)
अन्य समायोजन			-	-		
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
परिवर्तन पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-
01.04.2017 को पुनः घोषित बकाया के अनुसार	**-**	**-**	**-**	**(1.13)**	**-**	**(1.13)**
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान लाभ	-	-	-	(0.51)	-	(0.51)
निर्धारित लाभ योजनाओं की पुनर्भुगतान (कर का निवल)	-	-	-	-	-	-
विनियोग						
प्रतिधारित आय (मुख्यालय) में अंतरण	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व में / से अंतरण	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
31.03.2018 को बकाया के अनुसार	**-**	**-**	**-**	**(1.64)**	**-**	**(1.64)**
अवधि के दौरान अतिरिक्त	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान लाभ	-	-	-	(1.01)	-	(1.01)
निर्धारित लाभ योजनाओं की पुनर्भुगतान (निवल कर)	-	-	-	-	-	-
विनियोग	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारित आय (मुख्यालय) में अंतरण	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व में / से अंतरण	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
31.03.2019 को बकाया के अनुसार	**-**	**-**	**-**	**(2.65)**	**-**	**(2.65)**

टिप्पणी: 1 कॉरपोरेट जानकारी

<u>कंपनी का संक्षिप्त विवरण</u>

ओड़िशा राज्य में रेल कोरिडोर को विकसित करने तथा विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बनाने के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), इरकॉन(IRCON) इंटरनेशनल लिमिटेड और ओड़िशा औद्योगिक संरचना विकास निगम (आईडीसीओ) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस प्रकार 31 अगस्त, 2015 को 64:26:10 इक्विटी भागीदारी के साथ महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) के नाम से अलग कंपनी की स्थापना की गई । ऐसे उद्यम प्रशासनिक सहयोग से तैयार किए जाते हैं। इस तरह के उपक्रम केन्द्रीय और राज्य सरकार के साथ रेलवे से तकनीकी समर्थन और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) से व्यावसायिक सहायता प्राप्त कर कोल माइंस की चुनौतियों का सामना करने हेतु बनाये जाते हैं। रेल संरचना में निवेश करके और रेल गलियारे से बाहर होने वाले राजस्व से जुड़े व्यापार मॉडल के माध्यम से उद्यम को बनाए रखा जाता है।

समझौता ज्ञापन के अनुसार ओड़िशा सरकार (GoO) द्वारा प्रदत्त भूमि का मूल्य आई.डी.सी.ओ. के इक्विटी शेयर के समतुल्य या 10% से अधिक होगा, इनमें से जो भी अधिक हो। यदि ओड़िशा सरकार द्वारा प्रदान किए गए भूमि का मूल्य इक्विटी से 10% ज्यादा हो तब आईडीसीओ एवं एमसीएल की शेयरधारिता प्रतिशत तदनुसार संशोधित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व वाले भूमि (राजस्व एवं वन भूमि) ओड़िशा सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे एवं ऐसे भूमि का मूल्य इक्विटी अनुसार समायोजित किया जाएगा। वन संरक्षण के तहत वनीकरण प्रतिपूर्ति लागत, वर्तमान शुद्ध लागत, वन्यजीव प्रबंधन योजना, सरहदबंदी, वन योजना परिवर्तन प्रस्ताव हेतु कटाई एवं अन्य प्रभार एमसीआरएल द्वारा प्राप्त किये जाएंगे। यह रेलवे परियोजनाओं पर डोमेन विशेषज्ञता रखने वाले इरकॉन के माध्यम से प्रारंभिक गतिविधियों को पूरा करने और दो चरणों में निर्माण कार्य करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रुप में कार्य करने हेतु परिकल्पना की गई है। परिसंपत्तियों के रखरखाव, संचालन एवं रियायत के लिए एम.सी.आर.एल., रेलवे मंत्रालय के साथ समझौता करेगा।

टिप्पणी 2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 तैयारी का आधार

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत् अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के सभी समयावधि तक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक के अनुरुप तैयार

किया है, जिसे कंपनी नियमावली, 2006 (भूतपूर्व-भारतीय जी.ए.ए.पी) के अनुरुप कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2014 के अनुच्छेद 7 के साथ पढ़ा एवं समझा जाएगा।

मापन को ऐतिहासिक लागत के आधार पर वित्तीय विवरणों के अनुसार तैयार किया गया है, सिवाय उचित वित्तीय परिसंपत्ति और देयताओं को उचित मूल्य पर मापा जाए। (अनुच्छेद 2.11 में वित्तीय दस्तावेजों पर लेखांकन नीति देखें)

2.1.1 <u>पूर्ण राशियां</u>

इन वित्तीय विवरणों में राशि जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक लाख रुपए में दो दशमलव अंको तक उन्हें राउंड किया जाएगा।

2.2 चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण

कंपनी के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलनपत्र में परिसंपत्ति एवं देनदारियों को प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी द्वारा एक परिसंपत्ति को वर्तमान लागत के रूप में तब तक माना जाता है, जब तक कि

क. अपने सामान्य संचालन चक्र में यह अपेक्षित हो कि परिसंपत्ति स्वीकार, बेची या उपभोग की जाये।

ख. यह प्राथमिक रूप से व्यापार करने के लिए परिसंपत्ति की देयताओं को रखती है।

ग. रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर परिसंपत्तियों की पहचान की गई हो।

घ. परिसंपत्ति नगद या नगद समकक्ष (जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 7 में परिभाषित है) जब परिसंपत्ति का आदान-प्रदान प्रतिबंधित करती है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयताओं को व्यवस्थित करने हेतु इसका उपयोग करती है तब अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर चालू रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इंटीटी द्वारा देयताओं को वर्तमान में स्वीकार किया जाएगा, जब:

क. अपने सामान्य संचालन चक्र में अपेक्षित देयताएं स्थापित की गई हो।

ख. प्राथमिक रूप से देयताओं के व्यवसाय को बनाए रखना अपेक्षित हो।

ग. रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर देयताओं का निपटारा किया जाएगा।

घ. रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने का अधिकार नहीं होगा। देयता की शर्ते, जो कि काउंटर पार्टी के विकल्प पर हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरुप इक्विटी को जारी करने के मुद्दों के निपटारे का परिणाम इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता है।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 राजस्व मान्यता

भारतीय मानक लेखांकन 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त होने वाले राजस्व भारतीय मानक लेखांकन 11 और भारतीय मानक लेखांकन 18 राजस्व मान्यता का अधिक्रमण करता है, और यह अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त होने वाले सभी राजस्व पर लागू होता है। भारतीय मानक लेखांकन 115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त होने वाले राजस्व के लिए एक पांच-चरण मॉडल स्थापित करता है और उसके लिए यह आवश्यक है कि वह राजस्व एक राशि पर मान्य हो जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि ग्राहक को सेवायें हस्तांतरित करने के लिए कंपनी एक्सचेंज के लिए हकदार होने की उम्मीद रखती हो । भारतीय मानक लेखांकन 115 के लिए संस्थाओं के अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए को निर्णय लेने कि आवश्यकता होती है । मानक, अनुबंध के वृद्धिशील लागतों को प्राप्त करने और अनुबंध को पूरा करने से संबंधित प्रत्यक्ष लागतों के लिए लेखांकन को भी निर्दिष्ट करता है।

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब माल या सेवाओं पर नियंत्रण एक राशि पर मान्य हो जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि ग्राहक को सेवायें हस्तांतरित करने के लिए कंपनी एक्सचेंज के लिए हकदार होने की उम्मीद रखती हो ।

भारतीय लेखांकन मानक 115 में सिद्धांतों को निम्नलिखित पाँच चरणों का उपयोग करके लागू किया जाता है:

चरण 1: अनुबंध की पहचान:

क) ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए कंपनी तभी ज़िम्मेदारी लेती है जब ग्राहक निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाता है:

ख) अनुबंध के पक्षकारों को अनुबंध को स्वीकार करना होता है और वे अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं;

ग) कंपनी स्थानांतरित किए जाने वाले वस्तु या सेवाओं से संबंधित प्रत्येक पार्टी के अधिकारों की पहचान कर सकती है;

घ) अनुबंध में वाणिज्यिक विषय (यानी, अनुबंध के प्रत्याशित बदलाव स्वरूप जोखिम, समय,कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह की राशि); और

ड.) यह संभव है कि कंपनी उस विचार करेगी जिसके लिए वह ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं हेतु एक्स्चेंज के लिए हकदार होगा। तय की गई राशि जिस पर कंपनी हकदार होगी, वह अनुबंध में निर्दिष्ट कीमत से कम हो सकती है, यदि तय की गई राशि परिवर्तनशील है क्योंकि

कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, बट्टा, छूट, धन वापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या इसी तरह पारितोषिक प्रदान किए जा सकते हैं।

अनुबंधों का संयोजन

कंपनी दो या दो से अधिक अनुबंधों को समेकित करती है यदि एक ही ग्राहक द्वारा एक ही समय में या एक ही समय के आस-पास अनुबंध दाखिल की जाती है (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) और अनुबंध एक एकल अनुबंध के रूप में मान्य होगा, यदि निम्न में से एक या अधिक मानदंडों को पूरा किया जाता है

क) एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एकमुश्त में अनुबंधों तय की जा सकती है;
ख) अनुबंध में भुगतान किए जाने वाले तय राशि दूसरे अनुबंध के निष्पादन या कीमत पर निर्भर करती है; या
ग) अनुबंध में तय किए गए वस्तु या सेवायें (या प्रत्येक अनुबंध में तय किए गए कुछ वस्तु या सेवाएं) एकल प्रदर्शन दायित्व हैं।

अनुबंध संशोधन

कंपनी एक अलग अनुबंध के रूप में अनुबंध संशोधन के लिए उत्तरदायी है यदि निम्न दोनों स्थितियां मौजूद हैं:

क) अनुबंध की गुंजाइश बढ़ जाती है क्योंकि तय किए गए वस्तुओं या सेवाओं से यदि वे अलग हों,

ख) अनुबंध की कीमत तय की गई कीमत से बढ़ सकती है यह कंपनी की स्टैंड-अलोन अतिरिक्त तय की गई वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री मूल्यों और उस मूल्य के कोई उपयुक्त समायोजन जो विशेष अनुबंध के परिस्थितियों को दर्शाता हो।

चरण 2: निष्पादन दायित्वों की पहचान:

अनुबंध करते समय, कंपनी ग्राहक के साथ अनुबंध में तय किए गए वस्तुओं या सेवाओं का आकलन करती है और ग्राहक को प्रत्येक प्रतिबद्धता को स्थानांतरित करने के लिए निष्पादन बाध्यता रूप में पहचान करने के लिए:

क) वस्तुओं या सेवाओं (वस्तुओं या सेवाओं का एक समूह) जो अलग है; या

ख) अलग-अलग वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक एक समान होती है और ग्राहक के लिए स्थानांतरण का समान पैटर्न होता है।

चरण 3: लेन-देन मूल्य का निर्धारण

कंपनी अनुबंध की निबंधन और लेन-देन की कीमत निर्धारित करने के लिए उसके प्रथागत व्यवसाय प्रथाओं अनुबंध की शर्तों का ध्यान रखती है। लेन-देन का मूल्य तय की गई वह राशि है, जिसके बारे में कंपनी उम्मीद करती है कि वह तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़कर, किसी ग्राहक

को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने हेतु एक्स्चेंज के लिए हकदार होगी। एक ग्राहक के साथ एक अनुबंध में तय किए गए प्रतिबद्धता में नियत राशि, परिवर्तनीय राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

- लेन-देन मूल्य निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित में से सभी के प्रभावों का ध्यान रखती है:
- परिवर्तनीय स्वीकार्यता;
- परिवर्तनीय निर्णय के आकलन;
- महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व;
- गैर-नकद निर्णय;
- ग्राहक को देय निर्णय

बट्टा , छूट, प्रतिदाय, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या अन्य समान पारितोषकों के कारण तय की गई राशि भिन्न हो सकती है। यदि कंपनी भविष्य में होने वाली घटना के होने या न होने पर विचार करती है तो प्रतिबद्ध निर्णय भी भिन्न हो सकता है ।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के सारांश के अनुसार दंड की गणना की जाती है। जहां लेन-देन के मूल्य के निर्धारण में जुर्माना निहित है, यह परिवर्तनीय निर्णय का हिस्सा है।

कंपनी लेन-देन मूल्य में केवल कुछ हद तक अनुमानित परिवर्तनीय निर्णय की राशि को शामिल करती है जिससे अत्यधिक संभावना है कि t मान्य संचयी राजस्व की राशि में में एक महत्वपूर्ण व्युत्क्रम तब नहीं होगा जब परिवर्तनीय निर्णय से जुड़ी अनिश्चितता कों बाद में दूर किया जाए।

कंपनी एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए तय की गई प्रतिबद्ध राशि को समायोजित नहीं करती है यदि वह अनुबंध की आरंभ में अपेक्षा करता है, कि उस अवधि के दौरान जब वह ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं हस्तांतरित करता है और जब ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए भुगतान करता है, तो वह अवधि एक वर्ष या उससे कम की हो ।

कंपनी प्रतिदाय दायित्व को स्वीकार करती है यदि कंपनी ग्राहक से भुगतान प्राप्त करती है और कंपनी ग्राहक को उस भुगतान के कुछ या पूर्ण प्रतिदाय की उम्मीद करती है। प्रतिदाय दायित्व को प्राप्त भुगतान (या प्राप्य) की उस राशि के आधार पर तय किया जाता है, जिसके लिए कंपनी स्वत्वाधिकारी की उम्मीद नहीं करती है (यानी लेनदेन मूल्य में शामिल नहीं की गई राशि) प्रतिदाय दायित्व (और लेन-देन मूल्य में संगत परिवर्तन और , इसलिए, अनुबंध दायित्व) को परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अद्यतन किया जाता है।

अनुबंध की प्रारंभ होने के बाद, लेनदेन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं का समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं जो उस भुगतान की राशि को बदल

सकती, जिसके लिए कंपनी प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के लिए एक्स्चेंज में हकदार होने की उम्मीद करती है।

चरण 4: लेन-देन मूल्य का आवंटन:

लेन-देन मूल्य का आवंटन करते समय कंपनी का उद्देश्य कंपनी के लिए प्रत्येक निष्पादन दायित्व (या अलग-अलग वस्तुओं या सेवा) के लिए उस राशि पर लेनदेन मूल्य आवंटित करना है जो इसमें कंपनी को ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के लिए एक्स्चेंज में कंपनी द्वारा अपेक्षित हकदार होने की भुगतान की गई राशि को प्रदर्शित करती है।

संबंधित स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित करने के लिए कंपनी अनुबंध में प्रत्येक निष्पादन बाध्यता के आधार पर अलग वस्तुओं या सेवाओं के अनुबंध के प्रारंभ पर स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और उन स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्यों के अनुपात में लेन-देन मूल्य आवंटित करती है।

चरण 5: राजस्व को मान्यता देना :

कंपनी राजस्व को तब मान्यता देती है जब (या जैसे) कंपनी ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं को हस्थानांतरित करके निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। वस्तु या सेवा तब हस्तांतरित की जाती है जब (या जैसे) ग्राहक उस वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

कंपनी समय पर वस्तु या सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करती है, और इसलिए, कंपनी समय पर निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है और राजस्व को मान्यता देती है, यदि निम्न मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है:

क) ग्राहक कंपनी के साथ-साथ कंपनी के निष्पादन द्वारा प्राप्त लाभों को प्राप्त करता है और उनका उपभोग करता है, जैसा कि कंपनी प्रदर्शन करती है;

ख)कंपनी का निष्पादन संपति सृजित करता है या बढ़ाता है और जितनी संपति सृजित या बढ़ाई जाती है, उतना ही ग्राहक उसे संपति के रूप में नियंत्रित करता है

ग)कंपनी का निष्पादन कंपनी के लिए एक वैकल्पिक उपयोग के साथ आस्ति सृजित नहीं करती है तो कंपनी को अब तक के निष्पादन के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार है।

प्रत्येक निष्पादन बाध्यता को समय पर पूरा करने लिए, कंपनी उस निष्पादन बाध्यता की पूर्ण प्राप्ति की प्रगति को ध्यान में रख कर समय पर राजस्व को मान्यता देती है। कंपनी समय पर पूर्ण प्रत्येक निष्पादन बाध्यता की प्रगति को आँकने के लिए एक पद्धति को लागू करती है और कंपनी उस पद्धति को समान निष्पादन बाध्यताओं और समान परिस्थितियों में हमेशा लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता की पूर्ण समाधान की दिशा में अपनी प्रगति का पुनः आंकलन करता है।

कंपनी अनुबंध के अंतर्गत तय किए गए शेष सामानों या सेवाओं के सापेक्ष ग्राहक को स्थानांतरित की गई वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के प्रत्यक्ष आंकलन के आधार पर राजस्व मान्यता के लिए उत्पाद पद्धति लागू को करती है। उत्पाद पद्धति में आज तक पूर्ण किए गए निष्पादन सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन, प्राप्त उपलब्धि , व्यतीत समय और उत्पादित इकाइयाँ या सुपुर्द इकाइयाँ जैसे पद्धतियां शामिल हैं।

जैसे-जैसे समय के साथ हालात बदलते हैं, कंपनी निष्पादन बाध्यता के परिणाम में किसी भी बदलाव को दर्शाने की प्रगति के अपने उपाय को अद्यतन करती है।कंपनी की प्रगति के आंकलन में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखांकन मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है।

कंपनी सिर्फ समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता के लिए राजस्व को मान्यता देती है, यदि जब कंपनी निष्पादन बाध्यता की पूर्ण समाधान के लिए अपनी प्रगति का आंकलन यथोचित रूप से करती है। जब (या जैसे) निष्पादन बाध्यता पूरा हो जाता है, तो कंपनी लेन-देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में मान्यता देती है जो कि परिवर्तनीय भुगतान के अनुमानों को शामिल नहीं करता है जो उस निष्पादन बाध्यता के लिए आवंटित होता है।

यदि निष्पादन बाध्यता समय पर पूरा नहीं है, तो कंपनी एक समय में निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। उस समय को निर्धारित करने के लिए, जिस पर ग्राहक प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों को तय करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं हैं:

क) कंपनी के पास वस्तु या सेवा के भुगतान का अधिकार होता है;
ख) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा कानूनी हक होता है;
ग) कंपनी ने वस्तु या सेवा के भौतिक कब्जे को स्थानांतरित कर दिया है;
घ) ग्राहक के पास महत्वपूर्ण जोखिम और वस्तु या सेवा के स्वामित्व होता हैं;
ड.) ग्राहक ने वस्तु या सेवा को स्वीकार कर लिया है।

जब अनुबंध के लिए किसी पार्टी ने निष्पादन किया है, तो कंपनी, कंपनी के निष्पादन और ग्राहक के भुगतान के बीच के संबंध के आधार पर अनुबंध को अनुबंध आस्ति या अनुबंध देयता के रूप में तुलन पत्र में प्रस्तुत करती है। कंपनी अलग-अलग प्राप्य के रूप में भुगतान करने के लिए बिना शर्त अधिकार प्रस्तुत करती है।

अनुबंध संपति :

एक अनुबंध संपति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के एक्स्चेंज में निर्णय का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक पर विचार करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करती है, तो अनुबंध आस्ति अर्जित निर्णय के लिए मान्यता प्राप्त है जो सशर्त है।

व्यापार प्राप्ति :
कंपनी स्वीकार करने योग्य विचारो का प्रतिनिधित्व करता है जो शर्तरहित है अर्थात् देय भुगतान से पूर्व) (केवल समय की अपव्ययता है

अनुबंध देयताएं:
अनुबंध देयता ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व रखती है जिससे कंपनी को ग्राहक के विचार प्राप्त होते (शि देय हैया विचार की रा)है। ग्राहक के विचार करने से पूर्व कंपनी ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करती है, जब भुगतान किया जाता है या देय जो भी पहले) तब अनुबंध देयता को मान्यता दी जाती है (हो।

2.3.2 ब्याज

प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके ब्याज आय को मान्यता दी जाती है।

2.3.3 लाभांश

भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

2.3.4 अन्य दावे

अन्य दावों (ग्राहकों से विलंबित ब्याज पर प्राप्ति) की गणना तब कि जाती है, जब प्राप्ति की निश्चित होती है।

2.3.5 सेवाओं का प्रतिपादन

जब सेवाओं के प्रतिपादन से जुड़े लेन-देन के परिणाम का अनुमान लगाया जाता है, तो लेन-देन से जुड़े राजस्व कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेनदेन के पूरा होने के चरण के संदर्भित किया जाता है। लेन-देन के परिणाम का अनुमान दढ़ता से लगाया जा सकता है जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी हो जाती हैः

(क) राजस्व की राशि को मज़बूती से मापा जा सकता है

(ख) यह संभावना है कि आर्थिक लाभ लेनदेन से प्रवाहित होते है;

(ग) समीक्षाधीन अवधि के अंत में लेनदेन के पूरा होने के चरण को मज़बूती से मापा जा सकता है, तथा

(घ) लेन-देन के लिए किए गए खर्च और लेनदेन को पूरा करने के लिए लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है

2.4 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदान को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि उचित आश्वासन नहीं दिया जाता है कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन करेगी और अनुदान प्राप्त होगा।

सरकारी अनुदान को लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसमें कंपनी संबंधित लागतों को खर्च के रूप में मान्यता देती है जिससे अनुदान की क्षतिपूर्ति की जाती है।

संपत्ति से संबंधित सरकारी अनुदान को आस्थगित आय के रूप में स्थापित करके बैलेंस शीट में प्रस्तुत किया जाता है।

आय से संबंधित अनुदान (यानी संपत्ति के अलावा अन्य अनुदान) सामान्य शीर्षक अन्य आय ’के तहत लाभ या हानि के विवरण के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।

सरकारी अनुदान जो खर्च या नुकसान के मुआवजे के रूप में प्राप्य होते है या भविष्य में संबंधित लागत को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से, उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है जिसमें यह प्राप्य हो जाते है।

2.5 पट्टे

वित्त पट्टा एक पट्टा है जो मूलतः परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक रुप से सभी जोखिमों और पुरस्कारों को हस्तांतरित करता है। शीर्षक का स्थानांतरण किया भी जा सकता है अथवा नहीं भी।

प्रचालन पट्टा वित्त पट्टा से भिन्न पट्टा है।

2.5.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी:

पट्टे को आरंभिक रूप में वित्त पट्टे या प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वे पट्टे जिसे कंपनी के स्वामित्व के लिए सभी जोखिमों तथा पुरस्कारों में स्थानांतरित किया गया हो, उसे वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.5.1.1 पट्टे के प्रारंभ में वित्त पट्टों को शुरुआती समय में पट्टे पर परिसंपत्ति के उचित मूल्य या, यदि निम्न, न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है तो पट्टे का भुगतान वित्त प्रभारों तथा कमी की देयता के बीच विभाजित किया जाता है, ताकि शेष राशि की देयता पर स्थाई दर प्राप्त हो सके।लाभ और हानि के विवरणानुसार वित्त प्रभार को लागत द्वारा मान्यता प्राप्त है, जब तक कि वे प्रत्यक्ष रुप से योग्य परिसंपत्तियां नहीं खरीदते हैं, इस मामले में वह उधार लेन-देन की लागत पर कंपनी की सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किए जाते हैं।

परिसंपत्ति के उचित उपयोग को पट्टे युक्त परिसंपत्ति क्षीण करती है तथापि यदि कोई उचित निश्चितता नहीं हो तो कंपनी पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करेगी और परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोग तथा पट्टे की अवधि को परिसंपत्ति क्षीण करेगी।

2.5.1.2 परिचालित पट्टे - परिचालित पट्टे के अंतर्गत पट्टे का भुगतान पट्टे अवधि के दौरान प्रत्यक्ष रूप में किए गए व्यय के आधार पर पहचाना जाता है जब तक कि :

क. अन्य व्यवस्थित आधार उपयोगकर्ताओं के लाभ के समय के स्वरूप का प्रतिनिधि करता है भले ही कम भुगतानकर्ताओं का भुगतान उस आधार पर ना किया गया हो या,

ख. पट्टादाता के अपेक्षित मुद्रा स्थिति की लागत में रियायत प्राप्त होने के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के पट्टादाता को किए गए भुगतान के रूप में उसे संचारित किया जाता है। यदि पट्टादाता को किए गए भुगतान सामान्य मुद्रास्फीति से भिन्न हो तो, यह शर्त नहीं मानी जाएगी।

2.5.2 पट्टेदाता के रुप में कंपनी

परिचालन पट्टे : परिचालन पट्टे (सेवा राशि यथा बीमा पट्टा तथा रख-रखाव को छोड़कर) से पट्टे आय को आय के रूप में स्वीकृत किया जाता है जो सीधे तौर पर परिपाटी के पट्टे की शर्तों पर आधारित रहती है, जिसमें

क. अन्य पद्धतिपरक की तुलना में समय प्रणाली अधिक होती है जब पट्टा का भुगतान उस आधार पर नहीं होता है या

ख. इसका भुगतान इस रूप में संरचित होता है कि सामान्य अवमूल्यन की स्थिति में भी अनुमानित प्रतिपूरक लागत का अवमूल्यन मूल्य बिना व्यवधान के समायोजित हो। यदि पट्टा का भुगतान अवमूल्यन की तुलना में काफी प्रतिपूरक रहता है तो इस स्थिति में यह व्ययित नहीं होता है।

समझौता तथा परिचालन पट्टे में किया गया प्रारंभिक व्यय को सीधे पट्टा परिसंपत्ति के साथ शेष राशि में जोड़ दिया जाता है। जैसे कि पट्टा आय के रूप में प्रारंभिक पट्टा के शर्तों के अनुरूप निष्पादित किया गया हो।

वित्तीय पट्टा के अंतर्गत बकाये राशि को दर्ज किया जाता है जिसमें कंपनी के पट्टे में सीधे निवेश की गई प्राप्ति के साथ उसे जोड़ दिया जाता है। वित्तीय पट्टा आय को लेखा के गणना की अवधि में दर्ज किया जाता है, जिसमें पट्टा के अतिरिक्त बकाये निवेश को निरंतर आवृत्तिमूलक रुप में दर्शाया जाता है।

2.6 परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पी.पी.ई.)

जमीन की खरीदी ऐतिहासिक लागत पर तय की जाती है। इस ऐतिहासिक लागत में भूमि अधिग्रहण से जुड़े खर्च, पुनर्वास खर्च, पुन:स्थापन खर्च तथा संबंधित विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार के बदले दिए गए मुआवजे आदि शामिल हैं।

संपुष्टि के तारतम्य में अलग परिसंपत्ति के रूप में संयंत्र तथा उपकरण में होने वाले खर्च उस शर्त पर निष्पादित किये जाएंगे, जिसमें समाहित खर्च कम से कम हो तथा लागत मानक के अन्तर्गत किसी भी प्रतिपूरक नुकसान को हानि न पहुंचे। किसी भी परिसंपत्ति की कीमत, संयंत्र तथा उसके उपकरण में निम्नलिखित तथ्यों का होना वांछित है-

क. व्यापार छूट में मिले कटौती के बाद इनका क्रय मूल्य जिसमें निर्यात शुल्क तथा गैर-वापसी क्रय शुल्क शामिल हो।

ख. स्थल तक परिसंपत्ति को लाने के लिए किसी भी प्रत्यक्ष व्यय/सामयिक व्यय तथा प्रबंधन द्वारा क्षमतानुसार परिचालन के लिए उठाया गया अत्यावश्यक कदम।
ग. सामग्री परिवर्धन को हटाये जाने हेतु प्रारंभिक अनुमानित खर्च तथा समेकित स्थल तक इसे पहुँचाने के लिए व इसको व्यवहार में लाने के लिए कंपनी ने सामग्री को अपने आधिपत्य में रखने हेतु इसे खर्च किया है या एक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उसका व्यवहार किया है, जिसके लिए उसने अपना निवेश किया था।

परिसंपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण में खर्च किए गए प्रत्येक अंश को कुल लागत के अनुसार विखंडित कर साफ-साफ दर्शाया जाना अपेक्षित होता है। फिर भी कंपनी मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने हेतु पी.पी.ई. के समुपयोगी मद के साथ जीवनोपयुक्त तथा मूल्यह्रास विधि को तय करती है।

दिन-प्रतिदिन इस तरह के कार्य जिसमें मरम्मतीकरण, इसके रख-रखाव तथा लाभ और हानि के विवरण को उसी वर्षावधि के अन्तर्गत दर्शाता जाता है जिनमें उनका व्यय के समतुल्य होना अपेक्षित होता है।

परिसंपत्ति, संयंत्र और उसके उपकरण का कुल मूल्य बदले जाने पर वे उपष्करण के यथोचित पाठ की राशि के मूल्य के समतुल्य होंगे, जिससे यह लाभ होगा कि इस उपष्करण की राशि भविष्य में भी वित्तीय लाभ प्रदान करेगी, जो कि कंपनी के लिए लाभकारी होगा एवं इसका मूल्य आवृत्ति के रूप में भी आकलित किया जाएगा। इस उपष्करण के मूल्य को उसके स्थान पर परिवर्तित किया जाएगा, जिससे निम्नलिखित विक्रेद्रीकरण नीति के अनुरूप विकेंद्रित करना अपेक्षित होगा।

जब वृहद स्तर पर निरीक्षण किया जाए, तो इसके मूल्य को निर्देशित किया जाएगा, जो इस परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में परिवर्तित हो चुका था और इस तारतम्य में भविष्य के लाभांश के साथ को कंपनी के उपयोग के लिए भी लाया जाएगा तथा इन सामग्रियों का मूल्य सटीक रूप से आकलित किया जायेगा। कोई भी बकाया राशि(भौतिक भाग के रूप में चिन्हित) जांच के समय में विमुद्रित की जाएगी।

परिसंपत्ति संयंत्र या उपकरण का कोई भी अंश इसके साथ सम्मिलित किये पर जाने पर उसे असंबद्ध कर दिया जाएगा या भविष्य में कोई भी लाभ उसे व प्राप्त नहीं होगा, जो कि इन सम्पत्तियों के निरंतर व्यवहार से अपेक्षित रहा हो। किसी तरह का लाभ या नुकसान परिसंपत्ति संयंत्रों या उपकरणों के इन विकेन्द्रीकरण के सापेक्ष में इनका लाभ या नुकसान समझा जाएगा।

जमीन के मामलों को छोड़कर प्रति लागत मूल्य के रूप में सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का विवरण निम्नलिखित अनुमानित लाभ के रूप में चिन्हित किया जाएगा।

अन्य भूमि		
(पट्टेकृत भूमि सहित)	-परियोजना की अवधि या पट्टा अवधि में से जो भी कम हो	
भवन	-	3-60 वर्ष
सड़क	-	3-10 वर्ष
दूरसंचार	-	3-9 वर्ष
रेलवे साईडिंग	-	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	-	5-15 वर्ष
कम्प्यूटर एवं लैपटॉप	-	3 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	-	3-6 वर्ष
फर्नीचर या फिकचर	-	10 वर्ष
वाहन	-	8-10 वर्ष

परिसंपत्ति, संयंत्र या उपकरण का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति की कुछ वस्तुओं को छोड़कर मूल परिसंपत्ति का 5% माना जाता है,
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

वर्ष के दौरान जोड़े गए/निकाले गए सम्पत्तियों पर महीने के संदर्भ में मूल्यह्रास के अतिरिक्त/निपटान को प्रो-राटा के आधार पर प्रदान किया जाता है।

कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम 1957 के तहत "अन्य भूमि" का मूल्य अधिग्रहित भूमि के रूप में शामिल है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत मुआवजा, पारदर्शिता के अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आरएफसीटीएलएएआर) अधिनियम 2013 के तहत सरकारी भूमि के दीर्घकालीन हस्तांतरण आदि शामिल है, जो कि परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होते हैं और पट्टेकृत भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन पट्टे की अवधि पर आधारित होते हैं या इनमें से जो भी कम हो के तहत परियोजना के शेष राशि पर आधारित होते हैं।

पूरी तरह से विखंडित, उपयोग के लिए अनुपयुक्त परिसंपत्तियों को दर्शाया जाता है जो इस परिसंपत्ति के संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत इसके समायित मूल्य को केवल दर्शाते ही नहीं है अपितु जांच कर इसकी संपुष्टि भी करते हैं।

कंपनी द्वारा कतिपय परिसंपत्ति की संरचना/विकास पर जो मूलधन व्यय किया जाता है उसका उत्पादन, माल की आपूर्ति या कंपनी के अद्यतन आवश्यक होता है। परिसंपत्ति, संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत या इंवेलिंग एसेट के रूप में उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है।

भारतीय लेखांकन मानक के लिए संक्रमण
कंपनी वर्तमान मूल्य को लागत मानक की कीमत के अनुसार बनाए रखने का प्रयास करती है जिसमें सभी परिसंपत्ति, संयंत्र या उपकरण तथा वित्तीय विवरण एवं हस्तांतरण तिथि से पिछले जीएएपी के अनुसार किया गया निष्पादन सम्मिलित रहता है।

2.7 विकास व्यय

जब रेल गलियारों की संरेखण योजनाएं निर्धारित एवं खान/परियोजना विकास स्वीकृत किए जाते हैं तब निर्माण के अंतर्गत एफ़एसआर एवं डीपीआर लागत निर्माण के तहत परिसंपत्ति के रुप में स्वीकार किए जाते हैं तथा रेलवे साईडिंग/ रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के शीर्षक ‘ विकास’ के अनुरूप पूंजीकृत कार्य प्रगति के घटक के रुप में दर्शाये जाते हैं। सभी विकास व्यय को भी पूंजीकृत किया जाता है

<u>वाणिज्यिक संचालन</u>
परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है; धारणीय आधार पर उत्पादन हेतु परियोजना/खान की वाणिज्यिक तत्परता, परियोजना प्रतिवेदन में विशेष रूप से वर्णित शर्तों या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित की जाती हैं:

(क) वित्तीय वर्ष की शुरुआत से जिसमें परिचालन से राजस्व कुल, खर्चों से अधिक होगा।

राजस्व लागू किए जाने पर, पूंजीगत कार्य के तहत संपत्ति को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक के रूप में नामांकित पारिभाषिक शब्द "रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर" के तहत पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

2.8 अमूर्त परिसंपत्तियां
प्राप्त अमूर्त परिसंपत्तियां लागत के प्रारम्भिक स्तर पर मापे जाते हैं। अधिग्रहण की तिथि के अनुसार प्राप्त अमूर्त परिसम्पत्तियों की लागत व्यापार संयोजन में उनके उचित मूल्य है। प्रारम्भिक मान्यता के अनुसार अमूर्त सम्पत्ति किसी भी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी कार्यकाल में प्रत्यक्ष आधार पर गणना की जाती है) एवं संचित नुकसान यदि कोई हो, पर खर्च किये जाते हैं।

पूंजीकृत विकास लागत को छोड़कर आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त पूँजी को पूंजीकृत नहीं किया जाता है। इसके अलावा संबन्धित व्यय उस अवधि के हानि व लाभ के विवरण एवं व्यापक आय के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसमें व्यय किया गया हो। अमूर्त सम्पत्ति के उपयोगिता को सीमित/अनिश्चित काल के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। सीमित उपयोगिता के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों का उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है एवं जब भी संकेत मिले कि अमूर्त सम्पत्ति में घाटा होगा, तभी इन कमियों का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा। परिशोधन अवधि एवं सीमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त सम्पत्ति के लिए परिशोधन विधि कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन या परिसंपत्तियों में अंकित भविष्य के आर्थिक लाभों के

उपभोग को अपेक्षित पद्धति द्वारा परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने हेतु ध्यान में लाया जाता है एवं लेखांकन अनुमानों में उसे परिवर्तन के रूप में माना जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधित व्यय को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया गया है।

एक अमूर्त परिसम्पत्ति उनके अनिश्चित उपयोगिता के साथ परिशोधित नहीं की जाती, अपितु प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में कमी हेतु उसका परीक्षण किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान न होने से उत्पन्न लाभ व हानि को शुद्ध निपटान आय एवं परिसंपत्ति की वर्तमान राशि में अंतर के रुप में मापा जाता है, जिसे लाभ व हानि में मान्यता प्राप्त होती है।
अमूर्त संपत्ति की व्युत्पत्ति से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त होती है

सॉफ्ट्वेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति के रुप में मान्यता प्राप्त है, उपयोग करने हेतु कानूनी अधिकार की अवधि में प्रत्यक्ष रुप से या तीन साल से कम, इनमें से जो भी कम हो, को एक शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ परिशोधित किया जाता है।

2.9 परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों में हानि का आकलन करती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद हो, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। परिसंपत्तियों से प्राप्त राशि, परिसंपत्ति या उपयोगिता से उत्पन्न इकाई मूल्य एवं व्यक्तिगत परिसंपत्तियों को निर्धारित करने हेतु निर्धारित मूल्य में वृद्धि की जाती है। जबतक परिसंपत्ति में नगदी प्रवाह नहीं की गई हो, अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के कंपनी से स्वतंत्र होती है जिसमें नगद उत्पन्न इकाई परिसंपत्तियों से जुड़ी होती है, उसके लिए प्राप्त राशि निर्धारित की जाती है। हानि परीक्षण हेतु कंपनी व्यक्तिगत खदान के रुप में नकदी उत्पन्न इकाई पर विचार करती है।

2.10 निवेश परिसंपत्ति

परिसंपत्ति (भूमि या भवन या भवन का भाग या दोनों) को किराया हेतु आयोजित या पूंजी अभिमूल्यन या दोनों उत्पादन में उपयोग या माल व सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए या व्यापार के सामान्य कार्यप्रणाली में**,** विक्रय को निवेश की गई परिसंपत्ति के रुप में वर्गीकृत किया गया है।

निवेश परिसंपत्ति का आकलन प्रारम्भिक रूप से इसके लागत के आधार पर किया जाता है तथा इससे संबन्धित लेन-देन लागत पर भी लागू किया जाता है ।

निवेशित सम्पत्तियों का मूल्य ह्रास विधि के तहत उनके प्रत्यक्ष उपयोगी जीवन पर आधारित होते हैं।

2.11 वित्तीय प्रपत्र

वित्तीय साधन एक अनुबंध है जो कि परिसंपत्ति और किसी अन्य वित्तीय इकाई को देयता या इक्विटी उपकरण प्रदान करती है।

2.11.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

2.11.1.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें लाभ या हानि के उचित मूल्य पर साथ ही वित्तीय परिसंपत्तियों के विशेष रूप से अधिग्रहण के मामलों में एवं सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर पहचाना जाता है। खरीददारी या वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री जो बाजार की जगह पर विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की वितरण के लिए आवश्यक होती है, उन्हे व्यापार तिथि पर मान्यता प्राप्त है अर्थात वह तिथि जिसमें कंपनी की परिसंपत्ति को खरीदने या बेचने की प्रतिबद्धता है।

2.11.2 आगामी माप

वित्तीय परिसंपतियों को आगामी माप हेतु चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

- ऋण उपकरणों पर परिशोधित लागत
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।
- लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण, व्युत्पन्न और इक्विटी साधन।(एफ़वीटीपीएल)
- उचित मूल्य पर मापे गए ईक्विटी साधनों के माध्यम से अन्य व्यापक आय। (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।

2.11.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण प्रपत्र

निम्नलिखित दोनों शर्तों के पूरा होने के उपरांत ऋण प्रपत्र परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं

क. परिसंपत्तियों को व्यापार मॉडल के अन्तर्गत बनाएं रखने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य परिसंपत्तियों के संविदात्मक नगदी का प्रवाह संग्रह करना और

ख. नगदी प्रवाह की निर्दिष्ट तिथि पर परिसंपत्तियों के संविदात्मक शर्तों के तहत भुगतान किए गए मूल एवं ब्याज की राशि को बकाया राशि में सम्मिलित किया गया हो।

प्रारंभिक माप के बाद प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग (ईआईआर) करते हुए ऐसे वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर या अभिगत प्रभावी ब्याज या शुल्क जिसपर ईआईआर के एक भाग के रूप में अधिग्रहण की कीमत पर व्यक्त होती है। ईआईआर वित्तीय आय के तहत लाभ और हानि के अंतर्गत परिशोधित होती है। लाभ व हानि में कमी के कारण हुई हानियों को स्वीकार किया गया है।

2.11.2.2 एफवीटीओसीआई में ऋण प्रपत्र :

अगर निम्नलिखित दोनों मानदंडों को प्राप्त कर लिया गया हो तो एफवीटीओसीआई में ऋण प्रपत्र को इस रुप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

क. संविदात्मक नगदी प्रवाह के संग्रह तथा वित्तीय परिसंपत्ति के विक्रय दोनों के द्वारा व्यापार मॉडल के उद्देश्य को प्राप्त किया गया हो।

ख. परिसंपत्ति संविदात्मक नगदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता हो।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के अंतर्गत शामिल ऋण प्रपत्र को उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर शुरू में मापा जाता है। उचित मूल्य संचार को अन्य विस्तृत आय में पहले से ही मान्यता प्राप्त है। वैसे कंपनी ने पी एंड एल में ब्याज आय, क्षति, नुकसान तथा बदलाव और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचान लिया है। परिसंपत्तियों के गैर-पहचान जिसे कि ओसीआई में पहचाना गया है, को संचयी लाभ या नुकसान के तहत पी एंड एल के लिए इक्विटी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। ब्याज अर्जित होने पर अर्जित किये गए एफवीटीओसीआई ऋण प्रपत्र को ब्याज में जिस एफआईआर तरीके का उपयोग किया जाता है, उसी रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.11.2.3 एफवीटीपीएल में ऋण प्रपत्र

ऋण प्रपत्र के लिए एफवीटीपीएल एक अवशिष्ट श्रेणी के रूप में शामिल है। कोई **ऋण प्रपत्र** जो ऋण चुकाने की लागत या एफवीटीपीएल के रूप में श्रेणीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके साथ ही कंपनी एक **ऋण प्रपत्र** को नामित करने का चुनाव भी कर सकती है, जो एफवीटीपीएल में ऋण चुकाने की लागत तथा एफवीटीओसीआई के मानदंडों को पूरा करती हो। ऐसे चुनाव की अनुमति सिर्फ तभी दी जाएगी जब ऐसा करना एक पहचाने गए असंगति को कम या समाप्त करने के लिए उचित हो। कंपनी ने एफवीटीपीएल में किसी **ऋण प्रपत्र** को नामित नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल **ऋण प्रपत्र** को उचित मूल्य पर पी एंड एल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ मापा जाता है।

2.11.2.4 अनुषंगी, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश:

भारतीय लेखांकन मानक 101(भारतीय लेखांकन मानक में प्रथम बार अंगीकरण) एवं पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि संक्रमण की तिथि में उल्लेखित लागत राशि के रूप में निर्धारित की जाएगी। बाद में अनुषंगियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश किये गए मूल्य को मापा जाता है।

2.11.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में सम्मेलित सभी अन्य इक्विटी निवेश के लाभ एवं हानि को उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी प्रपत्र में परिवर्तन के उपरांत कंपनी उचित मूल्य में प्रस्तुत करने हेतु चुनाव कर सकती है। कंपनी ऐसा चुनाव प्रपत्र दर प्रपत्र के आधार पर करती है। वर्गीकरण आरंभिक पहचान करने हेतु की गई है, जो कि अटल है।

अगर कंपनी एफवीटीओसीआई पर इक्विटी प्रपत्र को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है तब ओसीआई में पहचाने गए लाभांश को छोड़कर प्रपत्र पर सभी उचित मूल्य में परिवर्तन हो जाता है। पी एण्ड एल से ओसीआई में निवेश की राशि में भी कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई है। कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानान्तरित कर सकती है।

पीएण्डएल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ उचित मूल्य पर एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी प्रपत्र को मापा जाता है।

2.11.2.6 मान्यता रद्दीकरण

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या जहां लागू हो, परिसंपत्ति के एक भाग या समान वित्तीय परिसंपत्ति के समूह के एक भाग) की मान्यता को प्राथमिक स्तर पर रद्द किया गया (जैसे तुलन पत्र से हटाया गया), जब

- परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो या
- कंपनी ने परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने के अधिकार को स्थानांतरित किया या प्राप्त नगद प्रवाह का भुगतान करने हेतु दायित्व निकासी व्यवस्था के अंतर्गत तीसरी पार्टी के लिए बिना सामग्री विलंब के ग्रहण किया गया हो और या तो (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया गया हो या (ख) कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया हो और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक बनाए रखा हो, लेकिन परिसंपत्ति पर नियंत्रण को स्थानांतरित अवश्य किया हो।

जब कंपनी ने परिसंपत्ति से प्राप्त नगद प्रवाह पर अपने अधिकार को स्थानांतरित किया या निकासी व्यवस्था में प्रवेश किया, तो यह मूल्यांकित हुआ कि इसने किसी हद तक स्वामित्व के जोखिमों एवं पुरस्कारों को बरकरार रखा है। कंपनी ने न तो परिसंपत्ति को हस्तांतरित किया, न ही परिसंपत्ति के सभी पुरस्कारों व जोखिम को बनाए रखा और न ही उनके नियंत्रण को हस्तांतरित किया है। जब कंपनी सतत भागीदारी को बनाए रखने तथा स्थानांतरित परिसंपत्ति की पहचान रखने का प्रयास करती है, तो ऐसे मामलों में कंपनी भी एक सहयोगी देयता की पहचान करती है। स्थानांतरित परिसंपत्ति तथा सहयोगी देयता को एक आधार पर मापा जाता है। कंपनी द्वारा उसके दायित्वों तथा अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है। सतत भागीदारी जो कि परिसंपत्ति पर प्रतिभूति के रूप में चिन्हित है जिसे

परिसंपत्ति के मूल तथा जारी राशि के आवश्यकतानुसार चुकाया जाता है, उसे निम्न स्तर पर मापा जाता है।

2.11.2.7 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि-

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों तथा क्रेडिट जोखिमों के अनावरण के माप तथा उसमें हुई हानि के लिए कंपनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के मॉडल को लागू करती है।

- क. वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है और जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है उदाहरणत: ऋण प्रतिभूति, व्यापार प्राप्त, बैंक बैलेन्स इत्यादि।
- ख. वित्तीय परिसंपत्ति जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है तथा उसे एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।
- ग. भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत प्राप्त पट्टे।
- घ. लेनदेन के परिणामस्वरुप व्यापार प्राप्य या नकद प्राप्ति हेतु अन्य संविदात्मक अधिकार भारतीय लेखांकन मानक 11 एवं 18 के अंतर्गत आते हैं।

हानि भत्ता की पहचान के लिए कंपनी ने निम्न सरल दृष्टिकोण को अपनाया है:-

- प्राप्त कारोबार या अनुबंध राजस्व प्राप्त करने योग्य तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत लेन-देन से प्राप्त सभी पट्टे।

सरलीकरण दृष्टिकोण के उपयोग से कंपनी को क्रेडिट जोखिमों में ट्रैक बदलाव को पहचानने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इसके प्रारम्भिक पहचान से शुरू होकर जीवन पर्यंत अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएलएस) पर आधारित होती है।

2.11.3 वित्तीय देयताएँ –

2.11.3.1 प्रारंभिक पहचान तथा माप

कंपनी की वित्तीय देयताएं व्यापार तथा अन्य ऋण देयताओं और उधार सहित बैंक ओवरड्राफ्ट को शामिल करती है।

ऋण और उधार लेने के मामलों में तथा विशेषकर लेन-देन की लागतों पर शुद्ध भुगतान करने हेतु वित्तीय देयताएँ प्रारम्भिक स्तर पर उचित मूल्य पर दर्शायी जाती है।

2.11.3.2 आगामी माप

वित्तीय देयताओं की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है जो कि नीचे वर्णित है :

2.11.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ व्यापार और वित्तीय देनदारियों के लिए आयोजित वित्तीय देयताओं में शामिल किए जाते हैं, जिसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित किया जाता है। आयोजित रूप में वित्तीय देयताओं को तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद

के प्रयोजन के लिए उपलब्ध न हो। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा व्युत्पन्न डैब्ट इन्स्ट्रुमेंट को भी शामिल किया गया है। जिसे प्रतिरक्षा संबंध में प्रतिरक्षा इन्स्ट्रुमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, इसे भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार पारिभाषित किया गया है। सेपरेटेड इम्बेडेड डेरीवेटिवस को भी उस समय तक व्यापार के लिए आयोजित रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबतक कि इन्हें प्रभावी प्रतिरक्षा उपकरण के रूप में चिन्हित नहीं किया गया हो। देयताओं पर लाभ या हानियों को व्यापार के लिए आयोजित लाभ या हानि के रूप में पहचाना जाता है।
वित्तीय देनदारियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज किया जाता है जैसा कि मान्यता की प्रारम्भिक तिथि पर नामित है तथा सिर्फ तब ही जब भारतीय लेखांकन मानक 109 के मानदंड संतुष्टीजनक पाये जाते हो। एफवीटीपीएल में नामित देयताओं के निष्पक्ष मूल्य पर लाभ/हानि जो कि जोखिम ऋण में परिवर्तन के कारण है तथा इसे ओसीआई में मान्यता प्राप्त है। इन लाभ हानियों को बाद में पी एंड एल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयताओं को उचित मूल्य पर अन्य सभी परिवर्तनों के साथ लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। कंपनी ने लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किसी वित्तीय देयताओं को नामित नहीं किया है।

2.11.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ-
प्रारम्भिक मान्यता के पश्चात इन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हु एपरिशोधित लागत पर मापा जाता है। जब प्रभावी ब्याज पर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देयताओं को वापस लिया जाता है, तब लाभ या हानि में नफा या नुकसान को पहचाना जाता है। परिशोधित लागत का आकलन अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हु एकी जाती है, जो कि प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न हिस्सा है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार लेने पर लागू होती है।

2.11.3.5 मान्यता रद्दीकरण

एक वित्तीय देयता की मान्यता को तभी वापस लिया जाता है जब देयताओं के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त हो गया हो। जब वित्तीय देयताओं को समान ऋणदाता के साथ विभिन्न शर्तों पर पुन:प्रतिस्थापित किया जाता है तो यह मौजूदा देयताओं की शर्तों को संशोधित करता है, तत्पश्चात इस तरह के एक विनियम या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता और एक नई देयता की पहचान के रुप में इसे माना जाएगा। किसी अन्य पार्टी को समझाए गए या हस्तांतरित किये गये वित्तीय लेन-देन राशि और उसमें से किसी भी हस्तांतरित परिसंपत्तियों या दायित्वों सहित भुगतान किए गए विचारों को लाभ व हानि के रुप में स्वीकार किया जाएगा।

2.11.4 वित्तीय देयताओं का पुनः वर्गीकरण
कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि इक्विटी साधन एवं वित्तीय देनदारियां हैं, को पुन:वर्गीकृत करती है। वित्तीय देयताएं वे ऋण साधन हैं जिनका पुन:वर्गीकरण सिर्फ तभी किया जा सकता है जब उनके व्यावसायिक मॉडल की परिसंपत्तियों में बदलाव किया जाए। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन आंतरिक और बाह्य बदलाव के परिणामस्वरुप व्यापार मॉडल में परिवर्तन करते हैं, जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है और बाहरी पार्टियों के लिए स्वत:

स्पष्ट है। व्यापार मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कंपनी महत्वपूर्ण संचालन हेतु कार्य को प्रारंभ या समाप्त करती है। कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को पुनः पेश या पुन:वर्गीकृत करती है, जो कि व्यापार मॉडल में बदलाव के तुरंत बाद आगामी प्रतिवेदन का पहला दिन समझा जाता है। कंपनी पहले से स्वीकृत किसी लाभ, हानि (लाभ व हानि में कमी सहित) या ब्याज को पुन:वर्णित नहीं करती है।

निम्नलिखित सारणी पुन:वर्गीकरण विधि तथा उनकी जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं-:

वास्तविक वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन विधि
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को पी एंड एल के रुप में पहचाना जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य उनके वर्तमान में जारी कुल राशि का प्रतिनिधित्व करती है। ईआईआर की गणना नये जारी किये गये राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुन: वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में पहचाना जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुन:वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप परिसंपत्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीपीएल	परिसंपत्तियां उचित मूल्य पर ही मापी जाएंगी। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुन: जमा करने की तिथि में पी एंड एल के रुप वर्गीकृत किया गया है।

2.11.5 वित्तीय प्रपत्र को पूर्ण करना

वित्तीय परिसंपत्ति तथा वित्तीय देयताओ को पूरा किया गया और समिति द्वारा तुलनपत्र में शुद्ध राशि की सूचना दी गई। अगर उसे प्राप्त मात्रा में पूरा करने हेतु वर्तमान में कानूनी अधिकार मिलते हो तो परिसंपत्ति को प्राप्त करने साथ ही साथ देयताओं के निपटान हेतु एक शुद्ध आधार पर समझौता किया जा सकता है।

2.12 उधारी लागत

उधार लेने की विशिष्ट लागत के रूप में और जब वह अधिग्रहण निर्माण या परिसंपत्तियों का उत्पादन करने के लिए सीधे रूप से जुड़े हुए हो तो उसे छोड़कर खर्च किया जा सकता है, जो परिसंपत्ति अपने उपयोग के लिए पर्याप्त अवधि लेती है उस स्थिति में उन्हें उन तारीखों तक परिसंपत्तियों की लागत के एक हिस्से के रूप में पंजीकृत तब तक किया जा सकता है जब तक कि परिसंपत्ति उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती है।

2.13 कर-निर्धारण

आयकर व्यय वर्तमान में देय और आस्थगित कर के योग को दर्शाता है।

एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर नुकसान) के संबंध में आयकरों की देय राशि(वसूली योग्य) चालू कर है। लाभ-हानि और अन्य व्यापक आय के रिपोर्ट के अनुसार कर योग्य लाभ "आयकर से पहले लाभ" से अलग होते है क्योंकि उनमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, जो कि अन्य वर्षों मे कर योग्य है अथवा उन्हें घटाया भी जा सकता है और बाद में उसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कभी भी कर योग्य या घटाए गए होते हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक मूल रूप से अधिनियमित किए गए दरों का उपयोग करते हुए उसकी गणना की जाती है।

अस्थाई करों के अंतर के लिए स्थगित की गई कर देनदारियों को आमतौर पर मान्यता प्राप्त होती है। काफी हद तक सभी हटाए गए अस्थाई अंतर के लिए अस्थगित कर परिसंपत्तियों को आमतौर पर मान्यता प्राप्त है। यह संभावित है कि इससे वह कर योग्य लाभ हमें उपलब्ध होगा जिसके लिए उन करों को हटाया गया था एवं उन अस्थाई करों का उपयोग भी किया जा सकेगा। ऐसे परिसंपत्ति और देनदारियों को उस अवधि तक मान्यता प्राप्त नहीं होगी , जब तक कि अस्थाई अंतर सद्भावना से या अन्य परिसंपत्तियों के प्रारंभिक मान्यता (व्यापार समायोजन के अलावा अन्य) से वह उत्पन्न न हुआ हो एवं

लेन-देन की देयताएं जो न केवल कर योग्य लाभ को प्रभावित करती है अपितु लेखांकन लाभ को भी प्रभावित करती हैं।

जहां कंपनी अस्थाई अंतर के उत्क्रम को नियंत्रित करने में सक्षम है या उसको छोड़कर सहायिकाओं तथा अनुषंगियों में निवेश करती है, वहां ऐसे कर योग्यों के अस्थाई अंतरों के लिए अस्थगित कर देयताओं को मान्यता प्राप्त होती है। यह संभव है कि अस्थाई अंतर निकट भविष्य में रद्द नहीं होगी, ऐसे निवेशों तथा ब्याजों के साथ जुड़े अथवा घटाए गए अस्थाई अंतर से उत्पन्न अस्थगित कर परिसंपत्तियों को कुछ हद तक मान्यता प्राप्त होती है, यह संभव है कि वहां अस्थाई अंतरों के लाभ का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अस्थगित कर परिसंपत्तियों के वहन राशि की समीक्षा की जाती है और उसे कम भी किया जा सकता है। यह संभव नहीं है कि परिसंपत्ति के किसी या सभी हिस्से को पुनः प्राप्त करने
की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अमान्यता प्राप्त अस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इसे इस हद तक मान्यता दी जाती है कि अस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या कुछ हिस्सों को पुनःप्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर लाभ उपलब्ध हो सके।

अस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को कर दरों पर मापा जाता है और इसे उस अवधि में लागू करने की अपेक्षा भी की जाती है, जिससे कि कर दरों (तथा कर कानून) पर आधारित देनदारियों व परिसंपत्तियों का निपटारा किया जा सके। इसे रिपोर्टिंग तिथि के अंत तक लागू या मूल रूप से अधिनियमित किया जाता है।

अस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों की माप उसके कर परिणामों को दर्शाती है, जो इस रीति का अनुसरण करती है जिसमें कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों और देनदारियों की संख्या को व्यवस्थित करने की उम्मीद होती है।

संबन्धित मदों को छोडकर चालू और आस्थगित कर को क्रमश: उनके अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में स्वीकार किया गया हैं। चालू और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में सीधे इक्विटी के अंतर्गत लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब चालू कर या आस्थगित कर व्यावसायिक संगठन के प्रारम्भिक लेखांकन में आते हैं तो उसके कर प्रभाव को व्यावसायिक संगठन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.14 रिपोर्टेड करेंसी

कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा और उसके अधिकांश संचालन के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपए (INR) में उस आर्थिक वातावरण की प्रमुख मुद्रा है, जिसमें वह काम करता है।.

2.15 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं परिसंपत्तियां

प्रावधान को तब मान्यता प्राप्त होता हैं जब कंपनी की पिछली घटना के परिणाम स्वरुप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) उसे प्राप्त हो और यह संभव है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों की आवश्यकता होनी आवश्यक है और उसे दायित्वों की विश्वसनीयता के रूप में भी लिया जा सकता है। जहां समय मूल्यवान है वहां दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय को वर्तमान मूल्य के अनुरूप रखा जाता है।
सभी प्रावधानों की समीक्षा तारीख के साथ प्रत्येक तुलनपत्र पर की जाती है और जो मौजूदा श्रेष्ठ अनुमान को दर्शाती है।

जहां यह संभव ना हो कि आर्थिक लाभों का आउटफ्लो आवश्यक हो या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया गया हो, वहाँ दायित्वों को दायित्व के रूप में प्रकट किया जाना प्रासंगिक हो जाता है। इस स्थिति में आर्थिक लाभ के आउटफ्लो की संभावना दूरस्थ नहीं होती है। संभावित दायित्व के अस्तित्व को केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगी एवं उन्हें प्रासंगिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाएगा जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लो की संभावना रिमोट नहीं होती।

प्रासंगिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि जब आय की प्राप्ति वास्तव में निश्चित होती है, तो संबंधित कोई भी परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं होती है और ये मान्यता यथोचित होती है।

2.16 प्रति शेयर अर्जन

समय के अनुरूप बकाया इक्विटी शेयरों को भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ से विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। प्रति शेयरों में मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरों की औसत लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो कि शेयरों की मूल आय से प्राप्त होती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो कि सभी ड्यूलिटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाती है।

2.17 निर्णय ,आकलन और धारणाएं

इंडस्ट्रीज के साथ वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। लेखांकन नीतियों को निर्णय और धारणाएं प्रभावित करती है और परिसंपत्तियों और देनदारियों पर रिपोर्ट की गई राशि आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा करती है और जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों से जुड़े लेखा नीतियों के आवेदन को वित्तीय विवरणों में उद्घृत किया जाता है। लेखांकन परिणाम समय -समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित लागत से भिन्न होते हैं। अनुमान के आधार पर इनकी निरंतर समीक्षा की जाती है और समयानुरूप लेखा अनुमानों का पुनर्निरीक्षण एवं उनका संशोधन भी किया जाता है। सामग्रियों को उनके वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रभावी रूप से प्रकट किया जाता है।

2.17.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित फैसले लिए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय वक्तव्यों में मान्यता प्राप्त राशियों पर डाला गया है:

2.17.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण

लेखांकन नीतियां ऐसे वित्तीय वक्तव्य हैं जिसमें लेन-देन, अन्य घटनाओं और शर्तो के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, जिसके लिए वे आवेदन करते हैं। जिन नीतियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती है।

प्रबंधन ने भारतीय लेखांकन मानक के अभाव में जो विशिष्ट रूप से लेन-देन, घटना की स्थिति पर लागू होते हैं, के अंतर्गत अपने निर्णयानुसार लेखांकन नीतियों के विकास तथा उसे लागू करने के लिए तथा परिणाम प्राप्त करने हेतु निम्न जानकारियाँ उद्धृत की है -

क उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय लेने के अनुरूप और

ख वित्तीय वक्तव्यों में विश्वसनीयता :

I. कंपनी ईमानदारी से वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नगदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है।

Ii. आर्थिक लेन-देन, अन्य घटनाएं और स्थितियां अवैध रूप से प्रतिबिंबित है।

Iii. तटस्थ है अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त,

Iv. मितव्ययी, तथा

V. सभी सामग्रियां पूर्ण रुप से निरंतरता पर आधारित होती हैं।

प्रबंधन निर्णय लेते हैं और उन्हें अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों के द्वारा संदर्भित किया जाता है।

क. भारतीय लेखांकन मानक में लेन-देन से संबंधित मुद्दों की आवश्यकताएं, और

ख. परिभाषित मानदंड और परिसंपत्तियां, देनदारी आय और खर्च की अवधारणा।

निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जो कि सामान्य विचारात्मक तंत्र का उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करते हैं, जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति न पैदा हो।

कंपनी खनन क्षेत्र का संचालन करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, उत्पादन चरण का विकास विभिन्न स्थलाकृति और भू-क्षेत्र के इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे में फैला हुआ है और जहां लगातार परिवर्तन की संभावनाएं होती है) जहां लेखांकन नीतियों में वृद्धि हुई है। पिछले कई दशकों से अनुसंधान समितियों द्वारा विशिष्ट उद्योग प्रथाओं की नियमावली के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ-साथ लेखांकन नीतियों के भी विकास का प्रयास करती है और इसमें भारतीय लेखांकन मानक 8 के विकास का विशेष रुप से ध्यान दिया जाता है।

वित्तीय वक्तव्यों को लेखांकन के आधार पर तैयार किया जाता है।

2.17.1.2 सामग्रियाँ

भारतीय लेखांकन मानक सामग्रीयुक्त वस्तुओं का उपयोग करती है। प्रबंधन विचार करते हुए यह निर्णय लेते है कि एकीकृत वस्तुओं या वस्तुओं के कंपनी को वित्तीय विवरणों में सामग्री के रूप में लिया जा सकता है। सामग्री का आकलन, वस्तुओं के आकार और प्रकृति के अनुरूप किया जाता है। निर्णायक कारण यह है कि उपयोगकर्ता वित्तीय निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं, जो कि भूलचूक से आर्थिक निर्णय को प्रभावित भी करती है। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के मदों का निर्धारण करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ण करती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में या तो प्रकृति या किसी मद की मात्रा या कुल वस्तुओं का निर्धारण भी करती है। इसके अलावा इंटीटी अपने जरूरत के अनुरूप मौजूदा सभी वस्तुओं को अलग से रखती है, ताकि नियमानुरूप जब उन्हें इनकी आवश्यकता हो तब इनका उपयोग किया जा सके।

2.17.1.3 परिचालन पट्टा

कंपनी ने पट्टा समझौते को अपनाया है। कंपनी शर्तों और निबंधन समझौते के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित करती है कि पट्टे आर्थिक जीवन के वाणिज्यिक परिसंपत्ति का मुख्य भाग और परिसंपत्ति के उचित मूल्य के रूप में गठित नहीं किए जा सकते हैं, ताकि जो बरकरार है वे सभी महत्वपूर्ण जोखिमों, स्वामित्व और परिचालन पट्टे को अनुबंध खाते में रखे जा सके।

2.17.2 आकलन और धारणाएँ

रिपोर्टिंग तिथि में भावी भविष्य और अन्य महत्वपूर्ण स्त्रोतों के बारे में मुख्य धारणाएँ दी गई है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा के रूप में समायोजित की जाती है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी आकलन और धारणाओं के आधार पर समेकित वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करती है। कंपनी भविष्य में होने वाले विकास के तहत बाजार में होने वाली परिवर्तनों पर मौजूदा परिस्थिति के अनुरूप नियंत्रण रखती है। ऐसे बदलाव तब होते हैं जब वे घटित होती हैं।

2.17.2.1 गैर वित्तीय सम्पत्तियों की हानि

यदि परिसंपत्तियों या नगदी का वहन मूल्य वसूली राशि से अधिक हो तो वे मूल्य उपयोगी होंगे, जो अपने निष्पक्ष मूल्य के निपटान मूल्य के न्यूनतम लागत पर निर्धारित किए जायेंगे और वे हानि को दर्शाएँगे। कंपनी प्रत्येक खानों को अलग-अलग नगद बनाने वाली ईकाइयों के रूप में मानता है। उपयोग की जाने वाली गणक मान डी.सी.एफ. मॉडल पर आधारित होती है। नगदी प्रवाह को अगले पाँच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त किया जाता है और जिसमें पुनर्गठन की गतिविधियां शामिल नहीं किया जाता है, जिसके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है, ताकि सी.जी.यू. की परिसंपत्तियों के प्रदर्शनों का भविष्य में उपयोग किया जा सके। वसूली राशि संवेदनशील होती है जो कम दर पर डी.सी.एफ. मॉडल के साथ-साथ अपेक्षित भावी नगदी और प्रविष्टि प्रयोजन के विकास दर को बढ़ाती है। यह अनुमान अन्य खनन के बुनियादी ढांचे के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। विभिन्न सी.जी.यू. के लिए वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए प्रमुख मान्यताओं का वर्णन किया गया है और जिसे आगे संबन्धित टिप्पणियों में भी वर्णित किया गया है।

2.17.2.2 कर

अस्थायी परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता इसलिए है कि अस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि का निर्धारण किया जा सके जिससे वह पहचाने जा सके। उपरोक्त समय के आधार पर और भविष्य में कर के लाभों के स्तर के साथ भावी कर योजनाओं के तहत रणनीतियाँ बनाई जायेंगी। करों से संबन्धित आगामी विवरण का उल्लेख टिप्पण-38 में किया गया है।

2.17.2.3 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप

जब तुलनपत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य को सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता, तो उनका उचित मूल्य डी.सी.एफ. मॉडल के साथ आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां तक संभव हो इन मॉडलों को बाजार से लिया जाता है। परंतु जहां तक संभव ना हो, वहाँ उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णायक परिणामों की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट जैसे विचाराधीन निवेश शामिल होते हैं। धारणाओं में परिवर्तन और अनुमानित ऐसे कारक वित्तीय रिपोर्ट में दिये गए उचित मूल्य को प्रभावित करते हैं।

2.17.2.4 विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां

कंपनी ने लेखांकन नीति के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोग परियोजना के विकास के लिए किया है। आम तौर पर जब परियोजना की रिपोर्ट केंद्रीय खनन योजना तथा डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के द्वारा तैयार की जाती है, तब निर्णयों के आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रारम्भिक पूँजी लागत की तकनीक और आर्थिक व्यवहार को स्वीकार किया जाता है।

2.18 संक्षेपों का प्रयोग :

क.	CGU	नगद उत्पाद इकाई (Cash generating unit)
ख.	DCF	रियायती नगद प्रवाह (Discounted Cash Flow)
ग.	FVTOCI	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (Fair value through Other Comprehensive Income)
घ.	FVTPL	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (Fair value through Profit & Loss)
ङ.	GAAP	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्त (Generally accepted accounting principal)
च.	Ind AS	भारतीय लेखांकन मानक (Indian Accounting Standards)
छ.	OCI	अन्य व्यापक आय(Other Comprehensive Income)
ज.	P&L	लाभ और हानि (Profit and Loss)
झ.	PPE	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (Property, Plant and Equipment)
ञ.	SPPI	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान (Solely Payment of Principal and Interest)

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3 :संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों

(₹ लाख में)

	फ्रीहोल्ड भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार / साइट पुनर्स्थापना लागत	निर्माण (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कल्विर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरणों	पी एंड एम भंडार	दूरसंचार	रेलवे साईडिंग	फर्नीचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरणों	वाहन	हवाई-जहाज	अन्य खनन आधार संरचना	परिसंपत्तियां का सर्वे ऑफ	अन्य	कुल
वहन राशि:																
01.04.2017 के अनुसार	-	-	-	-	-		-	-	8.01	0.63	-	-	-	-	-	8.64
परिवर्धन	-	-	-	-	-	-	-	-	1.64	-	-	-	-	-	-	1.64
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च,2018 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	**9.65**	**0.63**	-	-	-	-	-	**10.28**
						-										
01.04.2018 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	9.65	0.63	-	-	-	-	-	10.28
परिवर्धन	-	-	-	-	-	-	-	-	23.31	-	-	-	-	-	-	23.31
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च,2019 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	32.96	0.63	-	-	-	-	-	33.59
संचित मूल्यह्रास और हानि																
01 अप्रैल 2017 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.02	-	-	-	-	-	0.08
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-	0.92	0.20	-	-	-	-	-	1.12
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	0.98	0.22	-	-	-	-	-	1.20
						-										
01 अप्रैल 2018 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	0.98	0.22	-	-	-	-	-	1.20
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-	5.12	0.20	-	-	-	-	-	5.32
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2019 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	6.10	0.42	-	-	-	-	-	6.52
निवल वहन राशि																
31 मार्च,2019 के अनुसार	-	-	-	-	-		-	-	26.86	0.21	-	-	-	-	-	27.07
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-	-	-	-		-	-	8.67	0.41	-	-	-	-	-	9.08

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 4 : कैपिटल वैप

(₹ लाख में)

	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कल्विर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरणों	रेलवे साईडिंग	अन्य संरचना / विकास	रेल कॉरिडोर विकास व्यय	निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:								
01.04.2017 के अनुसार	-	-			117.69	1,272.19	20.47	1,410.35
योग	-	-			209.11	1,729.43	3.02	1,941.56
पूंजीकरण	-	-	-	-			-	-
समायोजन / विलोपन								
31.03.2018 के अनुसार	-	-	-	-	326.80	3,001.62	23.49	3,351.91
								-
01.04.2018 के अनुसार	-	-	-	-	326.80	3,001.62	23.49	3,351.91
योग	-	-			331.80	65.21	0.00	397.01
पूंजीकरण	-	-		-		-0.01	-23.49	-
समायोजन / विलोपन								
31.03.2019 के अनुसार	-	-	-	-	658.60	3,066.82	-	3,725.42
								-
प्रावधान और हानि								
01.04.2017 के अनुसार	-	-	-	-			-	-
अवधि के लिए शुल्क	-	-	-	-			-	-
हानी	-	-	-	-			-	-
समायोजन / विलोपन	-	-	-	-			-	-
31.03.2018 के अनुसार	-	-	-	-			-	-
								-
01.04.2018 के अनुसार	-	-	-	-			-	-
योग	-	-	-	-			-	-
पूंजीकरण	-	-	-	-			-	-
समायोजन / विलोपन	-	-	-	-			-	-
01.03.2019 के अनुसार	-	-	-	-			-	-
निवल वहन राशि								
31.03.2019 के अनुसार	-	-		-	658.60	3,066.82	-	3,725.42
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-	-	-	326.80	3,001.62	23.49	3,351.91

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 5 :अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि:	-
01.04.2017 के अनुसार	
परिवर्धन	
विलोपन / समायोजन	
31 मार्च 2018 के अनुसार	-
01.04.2018 के अनुसार	
परिवर्धन	
विलोपन / समायोजन	
31 मार्च 2019 के अनुसार	-
प्रवाधान और हानि	
01.04.2017 के अनुसार	
वर्ष के लिए शुल्क	
हानि	
पूंजीकरण / विलोपन	
31 मार्च 2018 के अनुसार	-
01.04.2018 के अनुसार	
वर्ष के लिए शुल्क	
हानि	
पूंजीकरण / विलोपन	
31 मार्च 2019 के अनुसार	-
निवल वहन राशि	
31मार्च 2019 के अनुसार	-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-
01 अप्रैल 2017 के अनुसार	

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 6 : अमूर्त परिसंपत्तियाँ

	कंप्यूटर सॉफ्टवेर	कोल ब्लॉक विक्रय के लिए	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:				
01.04.2017 के अनुसार				-
योग				-
विलोपन / समायोजन				-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-		-
01.04.2018 के अनुसार				-
परिवर्धन				-
विलोपन / समायोजन				-
31 मार्च 2019 के अनुसार	-	-		-
परिशोधन और हानि				
01.04.2017 के अनुसार				-
वर्ष के लिए शुल्क				-
परिवर्धन				-
विलोपन / समायोजन				-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-		-
01.04.2018 के अनुसार				-
वर्ष के लिए शुल्क				-
परिवर्धन				-
विलोपन / समायोजन				-
31 मार्च 2019 के अनुसार	-	-		-
निवल वहन राशि				
31 मार्च 2019 के अनुसार	-	-		-
31 मार्च 2018के अनुसार	-	-		-
01.04.2017 के अनुसार				

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 7 : निवेश

(₹ लाख में)

	31.03.19 के अनुसार	31.03.18 के अनुसार
गैर चालू		
शेयर में निवेश		
सहायक कंपनी में ईक्विट शेयर/ संयुक्त उद्धयम		
अन्य निवेश		
सुरक्षित बांड में		
7.55 % सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त 2021 सीरीज 79 बॉड		
8% सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त बॉड		
7.22 % सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त बॉड		
7.22 % सुरक्षित प्रतिदेय आरईसी कर-मुक्त बॉड		
सहकारी शेयर		
कुल :	-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि		
उद्धृत निवेश की कुल राशि		
उद्धृत निवेश की बाजार मूल्य		
मूल्य एवं निवेश में कुल राशि की हानि		

(₹ लाख)

चालू		
	31.03.19 के अनुसार	31.03.178 (पुनःघोषित)
व्यापार अनुद्दत		
म्यूचुअल फ़ंड में निवेश		
यूटीआई मनी मार्केट फंड		
एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड		
केनारा रोबेको लिक्विड फंड		
यूनियन केबीसी म्यूचुअल फंड	-	-
महाराष्ट्र राज विद्धुत बोर्ड		
पश्चिम बंगाल राज विद्धुत बोर्ड		
कुल :	-	-
उद्धत निवेश का योग		
उद्धृत निवेश की कुल राशि		
उद्धृत निवेश की बाजार मूल्य		
मूल्य एवं निवेश में कुल राशि की हानि		

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 8 : ऋण

(₹ लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
गैर-चालू		
संबंधित पार्टी को ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
- संदेहास्पद		
	-	-
घटाव: डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
कर्मचारियों के लिए ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
- संदेहास्पद		
	-	-
घटाव: डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान		
	-	-
अन्य ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
- संदेहास्पद		
	-	-
घटाव: डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान		
	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
चालू		
संबंधित पार्टी को ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
घटाव: डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
कर्मचारियों के लिए ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
- संदेहास्पद	-	-
घटाव: डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
अन्य ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
- संदेहास्पद		
घटाव: डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 9 :अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
गैर चालू		
बैक जमा		
उपयोगिताओं के लिए प्रतिभूति जमा	-	-
घटावः संदेहास्पद जमा के लिए भत्ता	-	-
	-	-
अन्य जमा और प्राप्य	-	-
घटावः संदेहास्पद जमा एवं प्राप्य हेतु भत्ता	-	-
	-	-
कुल	**-**	**-**
चालू		
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता		-
अर्जित ब्याज	0.05	0.05
दावे और अन्य प्राप्य	1.38	3.49
घटावः संदेहास्पद दावों के लिए भत्ता	-	-
	1.38	3.49
कुल	**1.43**	**3.54**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 10 : अन्य गैर- चालू परिसंपातियाँ

(₹ लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
(i) पूंजीगत अग्रिम	646.85	-
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान		
	646.85	**-**
(ii)पूंजीगत विकास के अलावा अन्य अग्रिम		
(क)उपयोगिताओं के लिए प्रतिभूति जमा	1.48	1.38
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान		
	1.48	**1.38**
(ख) अन्य जमा एवं अग्रिम		
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु जमा		
	-	**-**
(ग)संबंधित पार्टियों को अग्रिम	**-**	**-**
कुल	**648.33**	**1.38**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी-11 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
(क) राजश्व के लिए अग्रिम (वस्तु एवं सेवाएँ)	-	-
घटाव : संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान		
	-	-
(ख) संवैधानिक शुल्क हेतू अग्रिम भुगतान		
घटाव : संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान		
	-	-
(ग) संबन्धित पार्टियों को अग्रिम	-	-
(घ) अन्य अग्रिम एवं जमा	-	0.05
घटाव : संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान		
	-	**0.05**
(ड़) प्राप्य निवेश कर क्रेडिट	-	-
घटाव : प्रावधान		
कुल	**-**	**0.05**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 12 :वस्तुसूची

(₹ लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.18 के अनुसार
(क) कोयले का भंडार		
विकासाधीन कोयला		
घटाव : प्रावधान		
कोयले का स्टॉक (निवल)	-	-
(ख) भंडार एवं पुर्जों का स्टॉक (लागत)		
जुड़ावो : मार्गस्थ भंडार		
घटाव:प्रावधान		
भंडार एवं पुर्जे का निवल स्टॉक(लागत पर)	-	-
(ग) **केन्द्रीय अस्पताल में औषधियों का स्टॉक**		
(घ) कर्मशाला संबंधी कार्य :		
कार्य-प्रगति-पर एवं तैयार माल		
घटाव : प्रावधान		
कर्मशाला कार्यों का निवल स्टॉक	-	-
(ङ) प्रेस कार्य:		
कार्य-प्रगति-पर एवं तैयार माल	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी - संयुक्त

टिप्पणी - 13 : व्यापार से प्राप्य

(₹ लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
चालू		
व्यापार से प्राप्य		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद ऋण हेतु भत्ता	-	-
कुल	**-**	**-**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 14 - नगद एवं नगद समतुल्य

(₹ लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
(क) बैंक में नकद		
जमा लेखा में	-	-
- चालू लेखा में		
क.ब्याज सहित (सीएलटीडी लेखा इत्यादि)	5.69	3.89
ख. गैर ब्याज रहित		17.24
नगद क्रेडिट खातों में		
(ख) भारत के बाहरी बैंक में नगद	-	-
(ग) हाथ में चेक, ड्राफ्ट एवं स्टाम्प	-	-
(घ) हाथ में नगद	-	-
(ङ) भारत के बाहर हाथ में नगद	-	-
(च) अन्य	-	-
कुल नगद और नकद समतुल्य	5.69	21.13
(छ) बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
कुल नकद और नकद समतुल्य (निवल बैंक ओवरड़ाफ्ट)	**5.69**	**21.13**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 16 :इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

	के अनुसार	
अधिकृत	**31.03.2019**	**31.03.2018**
₹10 प्रत्येक का 50000 इक्विटी शेयर	5.00	5.00
निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
₹10 प्रत्येक का 50000 इक्विटी शेयर	5.00	5.00
	5.00	**5.00**

1 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के

शेयरधारकों के नाम	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य)	कुल शेयरो का प्रतिशत
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और उनके नामांकन	32000	64
आईआरसीओएन इंटरनेशनल लिमिटेड और उनके नामांकन	13000	26
ओड़िशा औध्योगिक संरचना विकास निगम	5000	10

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 16 :इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

अधिकृत	**31.03.2019 के अनुसार**	**31.03.2018 के अनुसार**
₹10 प्रत्येक का 50000 इक्विटी शेयर	5.00	5.00
निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
₹10 प्रत्येक का 50000 इक्विटी शेयर	5.00	5.00
	5.00	**5.00**

1 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के शेयर

शेयरधारकों के नाम	**शेयरों की संख्या (₹ 10 प्रत्येक अंकित मूल्य)**	**कुल शेयरों का प्रतिशत**
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और उनके नामांकन	32000	64
आईआरसीओएन इंटरनेशनल लिमिटेड और उनके नामांकन	13000	26
ओड़िशा औध्योगिक संरचना विकास निगम	5000	10
कुल	**50000**	**100**

2) अवधि के दौरान, शेयरों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित कमाई (अधिशेष)	अन्य व्यापक आय	कुल इक्विटि
	कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व	पूंजीगत रिजर्व				
01.04.2017 के अनुसार शेष				(1.13)		(1.13)
अन्य समायोजन	-	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
पूर्व अवधि समायोजन	-	-	-	-	-	-
01.04.2017 के अनुसार बहाल शेष	**-**	**-**	**-**	**(1.13)**	**-**	(1.13)
अवधि के दौरान जोड़/प्रतिधारित कमाई से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-		-	-
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	(0.51)	-	(0.51)
निर्धारित लाभ योजनाओं की पुनर्भुगतान (कर का निवल)	-	-	-	-	-	-
विनियोग						
प्रतिधारित आय (मुख्यालय) में अंतरण	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व में / से अंतरण	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
31.03.2018 को बकाया के अनुसार	**-**	**-**	**-**	**(1.64)**	**-**	**(1.64)**
अवधि के दौरान जोड़/प्रतिधारित कमाई से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	(1.01)	-	(1.01)
निर्धारित लाभ योजनाओं की पुनर्भुगतान (निवल कर)	-	-	-	-	-	-
विनियोग						
प्रतिधारित आय (मुख्यालय) में अंतरण	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व में / से अंतरण	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
31.03.2018 को बकाया के अनुसार	**-**	**-**	**-**	**(2.65)**	**-**	**(2.65)**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 18: ऋण

(₹ लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
गैर-चालू		
अवधि ऋण		
संबंधित पार्टियों से ऋण		
अन्य ऋण		
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित		
असुरक्षित		
चालू		
मांग पर लौटाने वाले ऋण		
-बैंकों से		
-अन्य पार्टियों से		
संबंधित पार्टियों से ऋण		
अन्य ऋण		
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित		
असुरक्षित		

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 19 :भुगतान योग्य व्यापार

(₹ लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार भुगतान	-	-
व्यापार के लिए अन्य भुगतान	-	-
-भंडार और पुर्जों	-	-
-ऊर्जा एवं ईंधन	-	-
वेतन, मजदूरी और भत्ते के लिए देयता	37.17	64.00
अन्य लागत	8.85	4.45
कुल	**46.02**	**68.45**

टिप्पणी:
1.अन्य: (प्रमुख मद)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बकाया राशि की अवधि तथा ब्याज यदि कोई हो

अवधि	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
15 दिनों के भीतर बकाया	-	-
16 से 30 दिनों के भीतर बकाया	-	-
31 से 45 दिनों के भीतर बकाया	-	-
45 दिनों से अधिक बकाया	-	-
कुल एमएसएमई लेनदार		

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय रु 0.00 लाख (रु 0.00 लाख -31.03.2019 के अनुसार) मूलधन और ब्याज के कारण रु. 0.00 लाख (रु. 0.00 लाख 31.03.2019) विलंब से भुगतान किया गया ।पार्टी द्वारा बैंक जनादेश फॉर्म और जीएसटी फॉर्म प्रस्तुत ना करने के कारण एमएसएमई को विलंब से भुगतान किया गया ।

2.अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी विलंबित भुगतानों पर कुल ब्याज का भुगतान - रु. 00 लाख (रु. 00.00 लाख - 31.03.2019)

3.अवधि / वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे भुगतान की गई मूल राशियों पर देय ब्याज, लेकिन इस अधिनियम के तहत ब्याज रहित राशि - रु ..00 लाख (रु. 00.00 लाख -31.03.2019 निरंक)

4.ब्याज उपार्जित किया गया है लेकिन रु .0.00 लाख नहीं है (वर्ष / अवधि के अंत में अर्जित ब्याज शामिल है लेकिन नियत तारीख से मासिक ब्याज पर ब्याज की गणना नहीं की जाती है)

5.कुल शेष ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया - रु .0.00 लाख (रु. 0.00 लाख -31.03.2019) (शेष सभी ब्याज राशियों को पूर्व वर्ष से उस समय तक शेष राशि का भुगतान करता है जब तक वास्तव में छोटे उद्यमों को ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था।)

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 20 : अन्य वित्तीय दायिताएं

(₹ लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
गैर चालू		
प्रतिभूति जमा	-	-
बयाना राशि	-	-
अन्य	-	-
	-	**-**
चालू		
	-	-
एमसीएल के साथ चालू खाते	4,249.58	2,218.18
आईआरसीओएन के साथ चालू खाता	44.00	
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता		
अभुक्त लाभांश	-	-
सुरक्षा जमा	-	-
अग्रिम राशि	-	-
अन्य	-	-
कुल	**4,293.58**	**2,218.18**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 21 : प्रावधान

(₹ लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
गैर चालू		
कर्मचारी हितलाभ		
ग्रैच्युटी		
छुट्टी नकदीकरण		
- अन्य कर्मचारी हितलाभ		
	-	-
	-	-
साइट पुनर्स्थापना /खदान बंदी करने वाली गतिविधियों का समायोजन		
अन्य		
कुल	**-**	**-**
चालू		
कर्मचारी हितलाभ		
ग्रैच्युटी		
छुट्टी नकदीकरण		
अनुग्रह राशि		
कार्यनिस्पादन से संबंधित भुगतान		
अन्य कर्मचारी हितलाभ		
एनसीडबल्यूए - 10 प्रावधान		
कार्यकारी के वेतन में संशोधन	-	-
साइट रेस्टोरेसन और खदान बंदी		
कोयला स्टॉक अंतिम पर उत्पाद शुल्क		
अन्य		
कुल	**-**	**-**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 22 :अन्य गैर चालू दायिताएँ

(₹ लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
स्थानांतरण और पूनर्वास निधि	-	-
आस्थगित आय	-	-
कुल	**-**	**-**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 23 : अन्य चालू दायिताएँ

(₹ लाख में)

	31.03.2019 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2018 समाप्त वर्ष के अनुसार
पूंजीगत व्यय	**65.20**	**1086.65**
सांविधिक देय	5.99	10.76
	5.99	**10.76**
ग्राहकों से अग्रिम / अन्य	-	-
अन्य देयताएं	-	-
कुल	**71.19**	**1,097.41**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 24 : संचालन से राजस्व

(₹ लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
कोयले का विक्रय/सेवाएं		
घटाव: अन्य वैधानिक वसूली		
रॉयल्टी		
कोयले पर उपकर		
स्टोइंग उत्पाद शुल्क		
केन्द्रीय बिक्री कर		
स्वच्छ ऊर्जा उपकर		
राज्य बिक्री कर/वैट		
राष्ट्रिय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट		
जिला खनिज फाउंडेशन		
अन्य वसूली		
कुल वसूली	-	-
बिक्री (निवल) (क)	-	-
ख.अन्य संचालन राजस्व		
कोयला आयात हेतु फेलिसिटेशन चार्ज पर		
बालू भराई और सुरक्षा कार्यों के लिए अनुदान		
लदाई और अतिरिक्त परिवहन शुल्क		
घटाव: अन्य वैधानिक वसूली		
	-	-
अन्य संचालन राजस्व (निवल) (ख)	-	-
संचालन से राजस्व(क+ख)	-	-

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 25 :अन्य आय

(₹ लाख में)

	31.03.2019 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2018 समाप्त वर्ष के अनुसार
ब्याज आय	0.52	0.11
लाभांश आय		
अन्य		
परिसंपत्तियाँ की बिक्री पर लाभ	-	-
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	-	-
लीज रेंट	-	-
पुनः लिखि गई देयता	-	-
पुनः लिखि गई प्रावोधान		
उचित मूल्य परिवर्तन (शुद्ध)		
विविध आय	-	-
कुल	**0.52**	**0.11**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 26 :सामग्री की लागत में खपत

(₹ लाख)

	31.03.19	31.03.18
बिस्फोटक	-	-
लकड़ी	-	-
तेल एवं लुब्रिकेंट	-	-
एचईएमएम के पुर्जे	-	-
अन्य उपभोज्य भंडार और पुर्जो	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी 27 : तैयार माल़ कार्य प्रगति पर एवं व्यापार में स्टॉक की वस्तुसूची में

		31.03.19	31.03.18
	प्रारंभिक कोयला स्टॉक		
	योग: प्रारंभिक स्टॉक का समायोजन		
	घटाव : कोयले का क्षरण		
	कोयले का अंतिम स्टॉक		
	घटाव : कोयले का क्षरण	-	-
क	**कोयले की सूची में परिवर्तन**	**-**	**-**
	तैयार माल एवं डब्लूआइेपी बनाने वाले कर्मशाला का प्रारंभिक स्टॉक		
	योग: प्रारंभिक स्टॉक का समायोजन		
	घटाव: प्रावधान		
	तैयार माल एवं डब्लूआइेपी बनाने वाले कर्मशाला का अंतिम स्टॉक		
	घटाव: प्रावधान		
ख	कर्मशाला की वस्तुसूची में परिवर्तन	-	-
	प्रैस प्रारंभिक कार्य		
	i)तैयार माल		
	ii)कायेे प्रर्गाते पर		
	घटाव: प्रेस समाप्ति कार्य		
	i)तैयार माल		
	ii)कार्य प्रगति पर		
ग	प्रेस जॉब की समाप्ति स्टॉक की वस्तु सूची में परिवर्तन	-	-
	व्यापार मे स्टॉक की वस्तु सूची मे बदलाव (क +ख + ग) {घटा / / (अधिग्रहण)}	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 28 :कर्मचारी हित लाभ

(₹ लाख)

	31.03.19	31.03.18
वेतन, मजदूरी, भत्ते, बोनस इत्यादि		
अनुग्रह राशि		
पीआरपी		
पीएफ और अन्य फंड का योगदान		
उपदान		
छुट्टी नकदीकरण		
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति		
कामगार क्षतिपूर्ति		
वर्तमान कर्मचारियों के लिए चिकित्सा		
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय		
स्कूलों और संस्थानों को अनुदान		
खेल व मनोरंजन		
कैंटीन व क्रैच		
विद्युत - टाउनशिप		
बस, एम्बुलेंस आदि के किराया प्रभार		
अन्य कर्मचारी लाभ		
	-	-

* संदर्भ नोट 21

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 29 :सीएसआर व्यय

(₹ लाख)

	31.03.19	31.03.18
सीएसआर व्यय		
कुल	-	-

टिप्पणी 30 : मरम्मत

	31.03.19	31.03.18
बिल्डिंग		
संयंत्र एवं मशीनरी		
अन्य		
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 31 :संविदात्मक व्यय

(₹ लाख)

	31.03.19	31.03.18
परिवहन शुल्क:		
- बालू		
- कोयला		
- भंडार एवं अन्य		
वैगन लदाई		
संयंत्र एवं उपकरणों को भाड़े पर लेना		
अन्य संविदात्मक कार्य		
कुल	-	-

टिप्पणी 32 :वित्तीय लागत

	31.03.19	31.03.18
ब्याज पर व्यय		
उधारी		
छूट को जारी रखना		
समूह के अंदर फ़ंड पर्क		
अन्य		
	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 33 : प्रावधान (निवल रिवर्सल)

(₹ लाख)

	31.03.19	31.03.18
(क) के लिए प्रावधान		
संदिग्ध ऋण		
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे		
भंडार एवं पुर्जे		
अन्य		
कुल(क)	-	-
(ख) प्रावधान रिवर्सल		
संदिग्ध ऋण		
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे		
भंडार एवं पुर्जे		
अन्य		
कुल(ख)	-	-
कुल (क-ख)	-	-

टिप्पणी 34 : बट्टे खाते डालना (गत प्रावधानों का निवल)

	31.03.19	31.03.18
संदिग्ध ऋण		
घटाव :- पूर्व प्रदत्त		
	-	-
संदिग्ध अग्रिम		
घटाव :- पूर्व प्रदत्त		
कोयले का स्टाक		
घटाव :- पूर्व प्रदत्त		
	-	-
अन्य (स्थिर परिसंपातियाँ बट्टे खाते में		
घटाव :- पूर्व प्रदत्त		
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 35 : अन्य व्यय

(₹ लाख में)

	31.03.2019 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2018 समाप्त वर्ष के अनुसार
यात्रा व्यय	-	-
प्रशिक्षण व्यय	-	-
दूरभाष एवं डाक	-	-
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	-	-
भाड़ा प्रभार	-	-
सुरक्षा व्यय	-	-
होल्डिंग कंपनी के सेवा प्रभार		
किराया शुल्क	-	-
विधि व्यय	-	-
बैंक प्रभार	0.01	0.01
गेस्ट हाउस का खर्च	-	-
कंसल्टेंसी चार्ज	-	-
विक्रय/डिस्कार्ड/सर्वेआफ परिसंपत्तियों पर हानि	-	-
लेखा परीक्षकों का मानदेय एवं व्यय	-	-
- लेखा परीक्षा फीस	0.90	0.40
- कर संबंधी मामले	-	-
- अन्य सेवाओं के लिए	-	-
-व्यय की प्रतिपूर्ति	0.62	0.21
आंतरिक लेखा परीक्षा फीस पर व्यय	-	-
किराया	-	-
दर एवं कर	-	-
बीमा	-	-
विनियम दर में अंतर से हानि	-	-
बचाव/सुरक्षा हेतु व्यय	-	-
अनुसंधान एवं विकाश व्यय	-	-
पर्यावरण एवं बृक्षारोपण व्यय	-	-
विविध व्यय	-	-
कुल	**1.53**	**0.62**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 36 : कर व्यय

(₹ लाखा)

	31.03.19	31.03.18
चालू वर्ष		
आस्थगित कर		
एमएटी क्रेडिट इनटाइटलमेंट		
पिछले वर्षों में		
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 37 : अन्य वृहद आय

(₹ लाख में)

		31.03.19	31.03.18
(क)	**(i) लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किए जानेवाले मदें**		
	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन		
	परिभाषित लाभ योजनाओं का रीमेजरमेंट		
	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी उपकरण		
	एफवीटीपीएल मे नामित वित्तीय देनदारियो के स्वय के क्रेडिट जोखिम से संबंधित उचित मूल्य परिवर्तन		
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर		
		-	-
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन		
	परिभाषित लाभ योजनाओं का रीमेसिमेंटेशन		
	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी उपकरण		
	एफवीटीपीएल मे नामित वित्तीय देनदारियो के स्वय के क्रेडिट जोखिम से संबंधित उचित मूल्य परिवर्तन		
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा		
		-	-
	कुल(क)	-	-
(ख)	**(i) लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किए जानेवाले मदें**		
	किसी विदेशी ऑपरेशन के वित्तीय विवरणो के अनुवाद मे विनिमय अंतर		
	ओसीआई के माध्यम से ऋण साधन		
	नकदी प्रवाह हेज मे हेजिंग उपकरणो पर लाभ और हानि का प्रभावी भाग		
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर		
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: परिष्कृत किया जाएगा		
	किसी विदेशी ऑपरेशन के वित्तीय विवरणो के अनुवाद मे विनिमय अंतर		
	ओसीआई के माध्यम से ऋण साधन		
	नकदी प्रवाह हेज मे हेजिंग उपकरणो पर लाभ और हानि का प्रभावी भाग		
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर		
	कुल (ख)	-	-
	कुल (क+ख)	-	-

टिप्पणी - 38 : 31 मार्च, 2019 को समाप्त हु ए वित्तीए विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ

उचित मूल्य मापन

क)वर्ग के अनुसार वित्तीय साधन (₹ लाख में)

	31 मार्च,2019			31 मार्च,2018		
	एफ़.वी.टी.पी.एल	एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई	परिशोधित लागत	एफ़.वी.टी.पी.एल.	एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई.	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश :						
सुरक्षित बॉन्ड	-	-	-	-	-	-
-प्राथमिक शेयर **-इक्विटी अवयव** **-ऋण अवयव**	- -	- -	- -	- -	- -	- -
म्यूचुअल फ़ंड/आईसीडी	-	-	-	-	-	-
अन्य निवेश	-	-	-	-	-	-
ऋण	-	-	-	-	-	-
जमा एवं प्राप्य	-	-	1.43	-	-	3.54
व्यापार प्राप्य	-	-	-	-	-	-
नगद एवं नगद समतुल्य	-	-	10.56	-	-	21.13
अन्य बैंक शेष	-	-	-	-	-	-
वित्तीय देयताएं						
उधार	-	-	-	-	-	-
व्यापार देय	-	-	46.02	-	-	68.45
प्रतिभूति जमा एवं बयाना	-	-	-	-	-	-
अन्य देयताएं	-	-	4293.58	-	-	2218.18

ख) उचित मूल्य अनुक्रम

वित्तीय साधन के उचित मूल्यों को निर्धारित करने के हेतु लिए गए फैसलों एवं अनुमानों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, जिसे (क) उचित मूल्य पर मापा तथा पहचाना जाता है। (ख) परिशोधित लागत पर मापा जाता है तथा जिसके लिए वित्तीय विवरणी में उचित मूल्यों का उल्लेख भी किया गया है। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता को दर्शाने हेतु कंपनी ने अपने वित्तीय साधन को लेखांकन मानक के तहत् निर्धारित तीन स्तरों में विभाजित किया है।

(₹ लाख में)

उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और देयताओं को मापा गया- आवर्ती उचित मूल्य मापन	31 मार्च,**2019**			31 मार्च,**2018**		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफ.वी.टी.पी.एल. में वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश						
म्यूचुअल फ़ंड/ आईसीडी	-	-	-	-	-	-
वित्तीय देयताएँ						
मद, यदि कोई हो	-	-	-	-	-	-

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को परिशोधित लागत पर मापा गया तथा जिसके लिए उचित मूल्य का उल्लेख	31 मार्च,**2019**			31 मार्च,**2018**		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
निवेश :	-	-	-	-	-	-
प्राथमिक शेयर **-इक्विटी अवयव** **-ऋण अवयव**	- -	- -	- -	- -	- -	- -
म्यूचुअल फ़ंड/आईसीडी	-	-	-	-	-	-
अन्य निवेश	-	-	-	-	-	-
ऋण	-	-	1.43	-	-	3.54
जमा एवं प्राप्य	-	-	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य	-	-	10.56	-	-	21.13
नगद एवं नगद समतुल्य	-	-	-	-	-	-
अन्य बैंक शेष						
वित्तीय देयताएं						
उधार	-	-	-	-	-	-
व्यापार देय	-	-	46.02	-	-	68.45
प्रतिभूति जमा एवं बयाना	-	-	-	-	-	-
अन्य देयताएं	-	-	4293.58	-	-	2218.18

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त जानकारी नीचे दिये गए सारणी में उपलब्ध है ।

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके मापा गया वित्तीय साधन शामिल हैं। इसमें म्युचुअल फंड भी शामिल है जिसकी रिपोर्टिंग दिनांक के अनुसार अंतिम नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) का उपयोग करके गणना कीगई है ।

स्तर 2: वे वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया गया है, उनके उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके किया जाना अपेक्षित होता है, जो कि निरीक्षण बाजार के आंकड़ों के उपयोग को अधिक बढ़ाते हैं एवं जो इकाई विशिष्ट के अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करते हैं। उचित मूल्य के लिए जरुरी सभी महत्वपूर्ण निविष्टियाँ स्तर-2 में उपकरण के रुप में शामिल की गई हैं।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियां प्रत्यक्ष बाजार के आंकड़ों पर आधारित नहीं हो तो उपकरण स्तर 3 में उसे शामिल नहीं किया जाएगा। असूचीगत इक्विटी प्रतिभूतियां, अधिमान्य शेयरों, उधार, प्रतिभूति जमा तथा अन्य देनदारियों को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

ग**) उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीक का उपयोग**

म्यूचुअल फ़ंड के निवेश के संबंध में मूल्यांकन तकनीक का उपयोग वित्तीय साधनों के लिए किया जाता है, जिसमें बाजारों में उपकरणों के उद्धृत कीमत भी शामिल हैं।

महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष निविष्टियां का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन।

वर्तमान में कोई भी महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष निविष्टियों का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन नहीं किया गया है।

घ**) वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के उचित मूल्य परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं।**

- व्यापार प्राप्तियों की कैरिंग राशि, अल्पावधि जमा, नकद एवं नकद समतुल्य तथा व्यापार भुगतान को उनके उचित मूल्यों के समान उनके देय अल्पावधि प्रकृति में विचार किया गया है।
- कंपनी का मानना है कि सुरक्षा जमा को महत्वपूर्ण वित्तीय घटक में शामिल न किया जाये। माइलस्टोन के रूप में (सुरक्षा जमा) भुगतान कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाते हैं और अनुबंध के लिए वित्तीय प्रावधान के अतिरिक्त अन्य कारणों के रख-रखाव की अपेक्षित राशि को पूर्ण करती है। यदि ठेकेदार अनुबंध के तहत् अपने दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होते हैं तो प्रत्येक माइलस्टोन भुगतान निर्दिष्ट प्रतिशत धारण कर कंपनी के हित की रक्षा करते हैं। तद्नुसार, सुरक्षा जमा की लेन-देन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है और बाद में उसे अमूर्त लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण आकलन : वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जा रहा है, उनका मूल्यांकन तकनीक की सहायता से निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में कंपनी, उपयुक्त धारणा को निर्धारित करने हेतु है एक पद्धति का चयन करती है।

2. जोखिम विश्लेषण एवं प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य एवं नीतियां

कंपनी के मुख्य वित्तीय देयताओं में ऋण एवं उधार, व्यापार एवं अन्य देय आदि शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन हेतु उन्हें वित्तीय सहायता एवं गारंटी प्रदान करना है। कंपनी के मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में संचालन से सीधे व्युत्पन्न ऋण, व्यापार एवं अन्य प्राप्तियां, नगद एवं नगद समतुल्य शामिल हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम तथा नगदी जोखिम को उजागर करती है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों की निगरानी करते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन जोखिम समिति के द्वारा मंडित किए गए हैं, जो परस्पर वित्तीय जोखिम तथा समूह के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिमों के सरकारी ढांचे पर अपनी सलाह देते हैं। जोखिम समिति कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियों के लिए अपना आश्वासन निदेशक मंडल को देती है जो कि उचित नीतियों एवं प्रक्रिया द्वारा शासित होती हैं तथा वित्तीय जोखिम कंपनी के नीतियों एवं जोखिम के अनुसार पहचाने, मापे एवं प्रबंधित किए जाते हैं। निदेशक मंडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु की गई समीक्षा एवं नीतियों से सहमत है, जो संक्षेप में नीचे दिए गए हैं।

यह टिप्पणी जोखिम के स्त्रोतों की जानकारी देती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह इसके इकाई के संपर्क में है तथा किस तरह यह जोखिम एवं वित्तीय लेखांकन विवरण के प्रभावों का प्रबंधन करती है।

जोखिम	जोखिम से उत्पन्न	माप	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद एवं नकद समतुल्य, परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियां, व्यापार प्राप्तियां	विश्लेषण/ क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई. दिशानिर्देश), बैंक जमा क्रेडिट लिमिट एवं अन्य प्रतिभूति का विविधिकरण
नकदी जोखिम	उधार एवं अन्य देयताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्धित क्रेडिट लाइन की उपलब्धता एवं उधार की सुविधाएं
बाजार जोखिम – विदेशी विनियम	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति एवं INR में नामित नहीं देयताएं	नकदी प्रवाह का संवेदनशीलता पूर्वानुमान	लेखा समिति एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा
बाजार जोखिम – ब्याज दर	नगद एवं नगद समतुल्य, बैंक जमा तथा म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह का संवेदनशील विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डी.पी.ई. के दिशानिर्देशानुसार निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। मंडल अत्यधिक नगदी निवेश की नीतियों सहित कुल प्रबंधन जोखिम हेतु लिखित रूप में प्रदान करती है।

क**)** **क्रेडिट जोखिम** – क्रेडिट जोखिम**,** नगद एवं नगदी समतुल्य**,** परिशोधित लागत में किए गए निवेश तथा बैंक एवं वित्तीय संसाधनों के साथ जमा तथा बकाया प्राप्तियों से उत्पन्न हैं।

अपेक्षित क्रेडिट हानि: कंपनी आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि (सरलीकृत)द्वारा संदिग्ध / क्रेडिट खराप परिसंपातियाँ के लिए अपेक्षित जीवन जोखिम हानि प्रदान करती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि पर महत्वपूर्ण आकलन और निर्णय

ऊपर दर्शायी गई वित्तीय संपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट और अपेक्षित हानि दरों के जोखिम के संबंध में मान्यताओं पर आधारित हैं। कंपनी, अपने पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में भावी अनुमानों के आधार पर इन धारणाओं एवं हानि गणना के लिए इनपुट का चयन करती है।

ख) तरलता जोखिम

विवेकतापूर्ण नगदी जोखिम प्रबंधन देय दायित्वों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा के तहत नगदी और बिक्री योग प्रतिभूतियों को बनाए रखता है तथा धन की उपलब्धता को भी दर्शाता है। अंतर्निहित व्यवसायों की प्रकृति के कारण कंपनी भंडार की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए वित्त पोषण में लचीलापन रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नगदी प्रवाह के आधार पर समूह की नगदी स्थिति (नीचे उधार लेने की सुविधा शामिल है) के पूर्वानुमानों, नगद एवं नगद समकक्ष की स्थिति पर नजर रखती है। यह आम तौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमा के अनुरुप परिचालित कंपनियों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

i. वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गयी तालिका में संविदात्मक छूट रहित भुगतान के आधार पर कंपनी के वित्तीय देनदारियों का संक्षिप्त विवरण सामील है. (₹ लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार				31.03.2018 के अनुसार			
विवरण	एक वर्ष से कम	एक से पाँच वर्ष के बीच में	पाँच वर्ष से अधिक	कुल	एक वर्ष से कम	एक से पाँच वर्ष के बीच में	पाँच वर्ष से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं								
ब्याज सहित उधार								
व्यापार देनदारियां	46.02			46.02	68.45			68.45
अन्य वित्तीय देयदताएं	4293.58			4293.58	2218.18			2218.18
कुल								

ग) बाजार जोखिम

क. नगद प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी की मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमा से उत्पन्न होती है, जिसमें ब्याज दर में बदलाव से कंपनी को नगद प्रवाह ब्याज दर जोखिम को दर्शाता है। कंपनी की पॉलिसी फिक्स्ड रेट पर अपने ज्यादातर डिपॉजिट को बनाए रखने के लिए है।

पूंजी प्रबंधन

सरकारी संस्था होने के कारण कंपनी वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है।

कंपनी की पूंजी गत संरचना निम्नानुसार है: (₹ लाख में)

	31.03.2019	31.03.2018
इक्विटी शेयर पूंजी	5.00	5.00
प्राथमिक शेयर पूंजी	-	-
लंबी अवधि के ऋण	-	-

3. कर्मचारी लाभ : पहचान और मापन (भारतीय मानक लेखांकन-19)

i) अपरिचित मदे

क. आकस्मिक देयताएं

I. ऋण के रूप में कंपनी के विरुद्ध अस्वीकार दावे

(₹ लाख में)

क्रमांक .	विवरण	01.04.2018 के अनुसार शुरूआत	वर्ष/अवधि के दौरान वृद्धि	वर्ष/अवधि के दौरान निपटाए गए दावें			31.3.19 के अनुसार समाप्ती
				क. प्रारंभिक बैलेंस से	ख. वर्ष / अवधि के दौरान वृद्धि के अलावा	ग. वर्ष/अवधि के दौरान निपटाए गए कुल दावें(क+ख)	
क	**केन्द्रीय सरकार**						
1	आय कर	0	0	0	0	0	0
2	अन्य मदें क)	0	0	0	0	0	0
ख	राज्य सरकार						
1	क)	0	0	0	0	0	0
ग	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम: कंपनी के खिलाफ मुकदमा	0	0	0	0	0	0
घ	अन्य :-						
1	कंपनी के खिलाफ अन्य मुकदमा	0	0	0	0	0	0
2	अन्य कोई मद:-क)	0	0	0	0	0	0

ख) गारंटी

कंपनी ने किसी अन्य कंपनी की ओर से कोई गारंटी नहीं दी है।

ग) शाख पत्र :

दिनांक 31.03.2019 तक बकाया शाख पत्र ...... (31.03.2018 के अनुसार ...... लाख) लाख रुपए हैं। रुपए एवं जारी बैंक गारंटी के अंतर्गत........ लाख रुपए (31.03.2017 के अनुसार .....लाख रुपए)।

II. प्रतिबद्धता

बचे हु ए संविदा के आकलित राशि को पूंजीगत खाता में निष्पादन हेतु समावेश किया जाये और जिसे उपलब्ध न कराया गया हो : ₹ 0.00 लाख (31.03.2018 के अनुसार ₹ 0.00 लाख)

अन्य (राजश्व प्रतिबद्धता) : ₹ 0.00 लाख (31.03.2018 के अनुसार ₹ 0.00 लाख)

अन्य जानकारी

क) प्राधिकृत पूंजी : (₹ लाख में)

	31.03.2019	31.03.2018
_₹ 10/- प्रत्येक के 50,000 इक्विटि शेयर	5.00	5.00

ख) प्रति शेयर आये

क्रमांक	विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार		31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार	
		पीएटी	ओसीआई	पीएटी	ओसीआई
i)	इक्विटी शेयर धारकों के लिए कर पश्चात निवल लाभ (₹ लाख में)	(1.01)	-	(0.51)	-
ii)	शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या में)	50,000	50,000	50,000	50,000
iii)	रुपये में प्रति शेयर मूल और मिश्रित आय (₹ 10 प्रति शेयर पर अंकित मूल्य) ।	(2.02)	-	(1.02)	-

ग) संबंधित पार्टी की घोषणा

i) **मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक**

नाम	**पद**	**से प्रभावी**
श्री जे.पी. सिंह	अध्यक्ष	31.08.2015 (28.02.2019 को सेवा निवृत)
श्री एल.एन मिश्रा	निदेशक	06.06.2016 (31.12.2018 को सेवा निवृत)
श्री के.आर. वसुदेवन	निदेशक	12.02.2018
श्री एस.के. मोहांती	निदेशक	01.06.2016
श्री एस.एल. गुप्ता	निदेशक	25.08.2016
श्री दीपक सभलोक	निदेशक	01.05.2017
श्री अभिजीत नरेंद्र	निदेशक	02.08.2017
श्री ओ.पी सिंह	अध्यक्ष	01.03.2019
श्री ए. हु सैन	निदेशक	22.03.2019
श्री वी.वी.के. राजू	सीएफ़ओ	03.07.2017(31.03.2019 को सेवा निवृत)
श्री एस .सी. राय	सीओओ	18.08.2018
श्री एस .सी. राय	सीईओ	05.09.2018
श्री पी.के.स्वर्णकर	सीएफ़ओ	31.03.2019

ii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का परिश्रमिक (₹ लाख में)

क्र.	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान	**31.03.2019** को समाप्त वर्ष के दौरान	**31.03.2018** को समाप्त वर्ष के दौरान
i)	अल्पावधि कार्मिक लाभ सकल वेतन चिकित्सा लाभ अतिरिक्त सुविधाएं और अन्य लाभ	20.00 - -	24.86 - -
ii)	रोजगार के बाद के लाभ भविष्य निधि एवं अन्य निधि के अंशदान उपदान और अवकाश नगदीकरण का वास्तविक मूल्यांकन	- -	- -
iii)	सेवा समाप्ती के लाभ	-	-
	कुल	**20.00**	**24.86**

iii)स्वतंत्र निदेशक को भुगतान (₹ लाख में)

क्रमांक	**स्वतंत्र निदेशक को भुगतान**	**31.03.2019** को समाप्त वर्ष के अनुसार	**31.03.2018** को समाप्त वर्ष के अनुसार
i)	बैठक शुल्क	-	-

iv) **31.03.2019** के अनुसार मुख्य प्रबंधकियों कार्मिक के साथ शेष बैलेंस

(₹ लाख में)

क्रमांक	विवरण	**31.03.2019** के अनुसार	**31.03.2018** के अनुसार
i)	भुगतान योग्य राशि	-	-
ii)	प्राप्य राशि	-	-

v) **संबंधित पार्टी समूह में लेनदेन**

कंपनी ने अपनी होल्डिंग कंपनी और अन्य संयुक्त उद्यम साझेदारों के साथ लेन-देन किया है जिसमें चालू खाते के माध्यम से अपने या दूसरों की ओर से किए गए व्यय शामिल हैं।

अवधि के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन

(₹ लाख में)

संबंधित पार्टीयों का नाम	संबंधित पार्टीयों को ऋण	संबंधित पार्टीयों से ऋण	लीज रेंट	चालू खाता पर बैलेंस पर ब्याज	परियोजना निष्पादन व्यय	चालू खाता बैलेंस
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	-	-	-	203.45	-	4249.58
इरकॉन	-	-	-	-	-	44.00
इडको						-

v) **बीमा और वृद्धि दावा**

बीमा और वृद्धि दावे के लेखा-जोखा का प्रवेश/अंतिम निपटान के आधार पर किया जाता है।

लेखा के लिए बनाये गए प्रावधान

धीमी प्रयुक्त/स्थिर/अप्रचलित भंडार गृह, दावा, प्राप्य, अग्रिम, संदिग्ध ऋण के लिए लेखा में प्रावधान पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है ताकि संभावित नुकसान को रोका जा सके।

च. चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि

प्रबंधन के विचार से अचल संपत्ति के अतिरिक्त अन्य संपति और गैर चालू निवेश का मूल्य कम से कम व्यवसाय के सामान्य अवधि के दौरान वसूली पर या जिस पर मूल्य निर्धारित किया जाता है, के बराबर होता है।

छ. चालू देयताएँ

वास्तविक देयताएँ नहीं मापी जा सकती, वहाँ आकलित देयताएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

ज. शेष की पुष्टि

नगद एवं बैंक शेष, निश्चित ऋण एवं अग्रिम, दीर्घकालिक देयताएँ और चालू देयताओं के लिए शेष की पुष्टि एवं मिलान किया जाता है।

vi) **महत्वपूर्ण लेखांकन नीति**

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली , 2015 के तहत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (टिप्पणी -2) का मसौदा तैयार किया गया है। ।

vii) **अन्य :**

क. पिछले अवधि के आंकड़ो को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार दोहराया गया है और आवश्यकतानुसार पुन: एकत्र और पुन: व्यवस्थित भी किया गया है।

ख. टिप्पणी 3 से 38 में पिछले वर्ष के आंकड़े दिये गए हैं ।

ग. टिप्पणी 1 और 2 में क्रमशः कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण हैं, टिप्पणी 3 से 23 तक 31 मार्च, 2019 के अनुसार तुलनपत्र दिये गए हैं तथा टिप्पणी 24 से 37 उस तिथि को समाप्त अर्धवार्षिक लाभ एवं हानी विवरण दिया गया हैं । टिप्पणी - 2 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां दी गई है और टिप्पणी - 38 में वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणीयां दी गई है ।

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	
(बी.पी मिश्रा)	**(पी.के. स्वर्णकार)**	**एस.सी.राय**	**बिजय धनिराम कंपनी सनधि**
प्रबंधक (वित्त)	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**	**लेखाकार**
			फर्म पंजी सं. – 324629ई
ह/-	**ह/-**		**ह/-**
एस.के.मोहांति	ओ.पी. सिंह		सीए बी.के अग्रवाल
निदेशक	अध्यक्ष		प्रोप्राइटर
			(सदस्य संख्या: **060126)**

दिनांक : **29.04.2019**

स्थान : सम्बलपुर